

विशेष किशोर पुलिस इकाई

मॉड्यूल
3



विषय-सूची

संक्षिप्ताक्षर	iii
विशेष किशोर पुलिस इकाई	1
सत्र 1: विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना और कार्य	2
सत्र 2: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संदर्भ में पुलिस की भूमिका	5
सत्र 3: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति	16
सत्र 4: विशेष किशोर पुलिस इकाई के पदाधिकारियों के विशिष्ट कार्य	30
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	35
संदर्भ	44
संलग्नक 1: चिकित्सा परीक्षण आवेदन प्रपत्र	45
संलग्नक 2: सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट	46
संलग्नक 3: बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट	50

संक्षिप्ताक्षर

सी.सी.टी.वी.	क्लोज़ सर्किट टेलिविज़न
ए.सी.पी.	असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलिस
सी.सी.एल.	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.सी.टी.एन.एस.	क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम
सी.एन.सी.पी.	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे
सी.पी.सी.	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
सी.डब्ल्यू.सी.	बाल कल्याण समिति
सी.डब्ल्यू.पी.सी.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
सी.आर.पी.सी.	आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम कोड
डी.सी.पी.	पुलिस उपायुक्त
सी.एस.ओ.	नागरिक सामाजिक संगठन
डी.सी.पी.यू.	जिला बाल संरक्षण इकाई
डी.डी. इंट्री	डेली डायरी इंट्री
डी.जी.पी.	पुलिस महानिदेशक
डी.एल.एस.ए.	ज़िला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण
डी.वाई.एस.पी.	उप-अधीक्षक
एफ.आई.आर.	प्रथम सूचना रिपोर्ट
आई.जी.सी.आई.डी.	इंस्पेक्टर जनरल आपराधिक जांच विभाग
जे.सी.डब्ल्यू.ओ.	किशोर या बाल कल्याण अधिकारी
जे.जे.एक्ट.	किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
जे.जे.बी.	किशोर न्याय बोर्ड
जे.डब्ल्यू.ओ.	किशोर कल्याण अधिकारी
एम.एल.सी.	मेडिको लीगल केस
एम.पी.एस.	मिसिंग पर्सन स्ववैड
एम.एस.जे.पी.वी.	महिला विशेष किशोर पुलिस इकाई
एम.एस.पी.	महिला सम्मान प्रकोष्ठ
एन.जी.ओ.	गैर-सरकारी संस्थाएं
पी.ओ.	परिवीक्षा अधिकारी
पी.ओ.सी.एस.ओ.	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
एस.बी.आर	सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट
एस.एच.ओ.	थानाध्यक्ष

एस.आई.आर.	सामाजिक जांच रिपोर्ट
एस.जे.पी.वी.	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एस.ओ.पी.एस.	मानक कार्य पद्धतियां
एस.पी.	पुलिस अधीक्षक



विशेष किशोर पुलिस इकाई

परिचय

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत, बच्चों के मामले में पुलिस की भूमिका के दिशानिर्देशों में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन अनिवार्य है। इसी अवधारणा का परिचय इस मॉड्यूल से प्राप्त होगा। मॉड्यूल का यह भाग हमें, विशेष किशोर पुलिस इकाई की परिभाषा और अर्थ, इसके मुख्य कार्य और कौन से कर्मचारी तथा अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसके बारे में अवगत कराना है। यह पाठक/प्रतिभागियों को यह जानकारी देता है कि बच्चों के साथ कार्य करते समय किस तरह बाल अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए और बच्चों के वे कौन से अधिकार हैं जिनका उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इसमें किशोर न्याय अधिनियम, मॉडल रूल्स 2016 और पॉक्सो अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की चर्चा विस्तार से की गई है। विशेष किशोर पुलिस और इकाई के दैनिक कार्यों में इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए यह भी स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि किन-किन हितधारकों के साथ संभवतः इस इकाई को कार्य करना पड़ेगा तथा किस तरह के मुद्दे और चुनौतियां सामने आएंगी एवं उनका समाधान कैसे किया जाएगा।



विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना और कार्य



समय
45 मिनट




उद्देश्य:

सत्र के अन्त तक प्रतिभागी:

- ♦ विशेष किशोर पुलिस इकाई की रूपरेखा और इसमें शामिल पुलिस कर्मियों के बारे में जान जाएंगे।
- ♦ बच्चों के साथ कार्य करते समय पुलिस की भूमिका क्या होगी यह वर्णित कर जाएंगे।
- ♦ देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (CNCP) तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (CCL) से संबंधित मामलों में अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति बता जाएंगे।



चरण 1: प्रतिभागियों से पूछें कि विशेष किशोर पुलिस इकाई से वे क्या समझते हैं?




चरण 2: प्रतिभागियों से पूछें कि विशेष किशोर पुलिस इकाई की रूपरेखा क्या है और इसका गठन कैसे किया जाता है? प्रतिभागियों के उत्तरों को सुनें और नीचे दिए गए बिन्दुओं के आधार पर विस्तृत चर्चा करें:

रूपरेखा और गठन/कर्म और अधिकारी (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का सेक्शन 107, मॉडल रूल्स 2016 के सत्र 86 के तहत)

विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम 2015 कहता है कि:

- ♦ प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर कम से कम एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए जो सहायक उप-निरीक्षक पद से नीचे के पद का न हो, उसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाएगा जो विशेष रूप से अपराध के शिकार बच्चों या अपराधी बच्चों के मामलों से संबंधित कार्य करेगा।

- राज्य सरकारों को राज्य के प्रत्येक जिले या शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करना चाहिए जिसका मुखिया एक पुलिस अधिकारी होगा जो पुलिस उप-अधीक्षक या इससे उच्च पद पर हो।
- इसमें सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, शामिल होंगे जिनमें से एक का महिला होना अनिवार्य है।
- आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे सुरक्षा पुलिस या सरकारी रेलवे पुलिस में भी विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित होंगे। जहां विशेष किशोर पुलिस इकाई नहीं बन पाती है, वहां रेलवे सुरक्षा बल या सरकारी रेलवे पुलिस का एक अधिकारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदस्थापित होगा।



“बाल कल्याण पुलिस अधिकारी” का अर्थ है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सेक्शन 107 के सब सेक्शन (1), सेक्शन 2 (18) के तहत उसी पद पर पदस्थापित पुलिस अधिकारी से है।

एक वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समेकित बाल संरक्षण योजना, हर विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगी जो इकाई की मदद करेंगे। जिला बाल संरक्षण इकाई इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करेगी और उनकी सेवाओं को विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए, जब भी और जैसे भी आवश्यकता होगी, निर्धारित करेगी। दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं में कम से कम एक का महिला होना तथा दूसरे का बाल संरक्षण के कार्यों में विशेषज्ञ होना आवश्यक है।



चरण 3: प्रतिभागियों से पूछें कि विशेष किशोर पुलिस इकाई के क्या कार्य हैं? नीचे दी गई जानकारी के आधार पर चर्चा करें:

विशेष किशोर पुलिस इकाई के समस्त कार्य (किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सेक्शन 10, मॉडल रूल्स 2016 का रूल 86)

- पुलिस इकाई का बच्चों से संबंधित हर कार्य का समन्वय करना।
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता से समन्वय करना तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा पकड़ा जाता है तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस इकाई को उसे 24 घण्टे के अन्दर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और बच्चे के माता-पिता को सूचित करना चाहिए।



- ♦ विशेष किशोर पुलिस इकाई को बच्चों के कल्याण से संबंधित उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति के साथ नज़दीकी तालमेल रखना होगा।
- ♦ विशेष किशोर पुलिस इकाई बच्चों को कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण के साथ भी समन्वय रख सकती हैं।
- ♦ विशेष किशोर पुलिस इकाई को, विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं जैसे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, विशेष शिक्षकों, परामर्शदाताओं और चाइल्ड लाईन के साथ समन्वय रखना चाहिए ताकि बच्चों को तुरन्त सहायता दी जा सके।



चरण 4: गतिविधि: कार्डों का अभ्यास



प्रक्रिया

1. प्रतिभागियों को अपने लिए पांच विशेषण लिखने के लिए कहें जो उनके गुणों को दर्शाते हैं। कार्य पूरा होने पर पर्चियां एकत्रित कर लें।
2. अब उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाले या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पांच विशेषताएं लिखने के लिए कहें। फिर से पर्चियां एकत्रित कर लें।

बोर्ड की बायीं तरफ पहले चरण की पर्चियों के विशेषणों की सूची बनाएं तथा दाहिनी तरफ दूसरे चरण की पर्चियों के विशेषणों की सूची बनाएं।

चर्चा: प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें:

- ♦ किस कार्य में अधिक समय लगा पहले वाले में या दूसरे में और क्यों?
- ♦ स्वयं और बच्चों की विशेषताओं में समानता या विभिन्नता के क्या कारण हैं?



चरण 5: सत्र का समापन

चर्चा का समाहार करते हुए कहें कि किसी न किसी तरह हम स्वयं को एक अच्छा मनुष्य मानते हैं किन्तु जो कानून का उल्लंघन करने वाले या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे हैं उनके बारे में समान रूप से नहीं सोचते हैं। यह भी एक तथ्य है कि यह बच्चे हमारे समाज में ही उत्पन्न हुए हैं। वे आज जैसे भी हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। इस बात की भी चर्चा करें कि अगर आज हम उनके साथ दोस्ताना और उपयुक्त तरीके से पेश आएंगे तो भविष्य के बेहतर नागरिक बनाने में हमारा योगदान होगा।



देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संदर्भ में पुलिस की भूमिका





समय
75 मिनट



चरण 1: पुलिस की भूमिका पर बात करने से पहले आईए पुनः याद करें कि देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे कौन हैं।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सेक्शन 2 (14) के अनुसार एक "देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा" वह है:

- जिसके पास कोई घर-बार या रहने का स्थान न हो और जीवन निर्वाह का कोई प्रत्यक्ष जरिया न हो।
- जो लागू श्रम कानूनों के विरुद्ध कार्य कर रहा हो या भीख मांगते हुए या सड़क पर जीवन-यापन करते हुए पाया गया हो।
- जो एक ऐसे व्यक्ति (बच्चे का अभिभावक हो या कोई अन्य) के साथ रहता हो और उस व्यक्ति ने:
 - (क) घायल किया हो, शोषण किया हो, दुर्व्यवहार या उपेक्षा की हो या उस समय बाल संरक्षण के लिए लागू किसी कानून का उल्लंघन किया हो या
 - (ख) जान से मारने, घायल करने, शोषण या दुर्व्यवहार की धमकी दी हो और धमकी वास्तविकता में बदलने की संभावना हो या
 - (ग) किसी दूसरे बच्चे या बच्चों को जान से मारा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण किया हो और साथ रह रहे बच्चे के मारे जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, शोषण या उस व्यक्ति द्वारा उपेक्षा की संभावना हो या
- वह मानसिक रूप से बीमार हो या मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो और कोई दूसरा मददगार न हो या माता-पिता या अभिभावक देखभाल के लिए अनुपयुक्त हो अगर बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाता है या
- जिसके माता-पिता या अभिभावक हैं किन्तु वे माता-पिता या अभिभावक समिति या बोर्ड द्वारा बच्चों की देखरेख और सुरक्षा के लिए अनुपयुक्त पाए गए या
- जिनके माता-पिता नहीं हैं और देखरेख करने के लिए कोई इच्छुक नहीं है या जिसके माता-पिता ने परित्यक्त कर दिया है या त्याग कर दिया है या
- जो गुम हुआ या घर से भाग हुआ बच्चा है या निर्धारित तरीके से खोजबीन करने के बाद भी जिसके माता-पिता नहीं मिले या



- गैर कानूनी कार्यो या यौन शोषण के लिए जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या हो रहा है, यातना दी गई है, दी जा रही है या दी जा सकती है या
- जो दयनीय स्थिति में है और जिसके नशे का आदी बनने या तस्करी का शिकार होने की संभावना है या
- अनुचित लाभ के लिए जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या हो सकता है या
- जो सशक्त लड़ाई, गृह युद्ध या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो या प्रभावित हो या
- विवाह की उम्र पूरी होने से पहले ही जिसका विवाह होने का जोखिम हो और जिसके माता-पिता, परिवार के सदस्य, अभिभावक और अन्य लोग विवाह की विधि पूरी कराने के जिम्मेदार हों।



चरण 2: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संदर्भ में पुलिस की भूमिका

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामले में विभिन्न स्तरों/अवस्थाओं में पुलिस की भूमिका को समझना।



गतिविधि 1: समूह कार्य और चर्चा

कार्य पद्धति

- ♦ समूह कार्य
- ♦ अभ्यास— साधारण प्रश्नावली का प्रयोग/सही—गलत का अभ्यास आदि

समूह कार्य का उद्देश्य

- ♦ प्रतिभागियों को व्यक्तिगत भूमिका और उत्तरदायित्वों को समझने और आंकलन करने में मदद करना।
- ♦ प्रतिभागियों को यह समझने में सहायता देना कि उनका पहला कदम, केस के भविष्य को निर्धारित करता है।
- ♦ कठिन स्थितियों और परिस्थितियों से गुजर रहे बच्चे के मामले को संभालने के कदमों को जानने में मदद करना।



सुगमकर्ता/संसाधन व्यक्ति के लिए टिप्पणी: सुगमकर्ता/संसाधन व्यक्ति को यह समझना होगा कि यह सत्र देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामले में पुलिस की भूमिका पर है इसीलिए सभी की भागीदारी आवश्यक है।

सुगमकर्ता/संसाधन व्यक्ति को प्रतिभागियों को यह बता देना चाहिए कि बच्चे की श्रेणी या मामले की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार पुलिस की भूमिका भिन्न हो सकती है।

सुगमकर्ता/संसाधन व्यक्ति को प्रतिभागियों को अन्य सेवाओं को पहचानने और उनके महत्व को समझने में मदद करनी चाहिए पुलिस को अपनी भूमिका सही तरीके से निभाने में सहायक हैं। इसके लिए अन्य विभागों और एजेंसियों जैसे श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, महिला और बाल विकास विभाग, मिसिंग पर्सन स्कवैड, चाइल्ड लाइन, बच्चों के लिए संस्थानों, गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं आदि की भूमिका की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और यह भी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को पुलिस इनसे कब और कैसे जोड़ेगी। पुलिस कर्मियों को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामले में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व की समीक्षा करने में सहायता देना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

समूह कार्य के लिए निर्देश: समूह कार्य केस स्टडीज़ के आधार पर होगा। कुल प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार प्रतिभागियों को चार समूहों में विभक्त होने में सुगमकर्ता सहयोग दें।

- ♦ इस बात पर जोर दें कि अधिकांश मामलों में, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के संपर्क में, राज्य की ओर से पुलिस ही सबसे पहले आती है, इसलिए बच्चे का भविष्य निर्धारित होने में पुलिस का पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
- ♦ प्रत्येक समूह को कार्य करने के लिए केस स्टडी दी जानी चाहिए।
- ♦ प्रत्येक समूह को एक केस स्टडी दी जाएगी जिस पर चर्चा करके समूह को चार्ट पेपर पर उठाए जाने वाले कदमों को लिखना होगा।

- ♦ चर्चा के लिए समय निर्धारित होना चाहिए और सभी प्रतिभागियों को सूचित किया जाना चाहिए।
- ♦ जब समूह अपने मामले (केस) पर चर्चा पूरी कर लें तब प्रत्येक समूह से एक प्रतिभागी आकर प्रस्तुतीकरण करेगा।
- ♦ प्रत्येक समूह के प्रस्तुतीकरण के बाद बड़े समूह में इस केस पर चर्चा करने का अवसर दें।
- ♦ प्रस्तुत समूह कार्य पर चर्चा विकसित करने के लिए सुगमकर्ता निम्नलिखित मूलभूत प्रश्न पूछें:
 - क) इस केस में छूटे हुए कदम कौन से हैं?
 - ख) प्रतिभागियों की तरफ से प्रस्तुत कदमों में कोई जुड़ाव या बदलाव?

समूह कार्य के लिए केस स्टडी

समूह में चर्चा के लिए प्रश्न – विभिन्न मामलों में कार्य करने की पुलिस की भूमिका क्या होगी? पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले सभी कदमों का विवरण दें।

केस स्टडी 1:

दो लड़कियां 'रा' (14 वर्ष) और 'सु' (16 वर्ष) जो देह व्यापार में संलिप्त थीं, शाम को पांच बजे, रेड लाईट एरिया में पुलिस दबिश में पकड़ी गई थीं। दबिश के दौरान पुलिस ने 'सु' (30 वर्ष) को दो बच्चों (2 वर्ष और 8 वर्ष) अनाथ 'मी' (21 वर्ष) और 'दी' (45 वर्ष) को भी पकड़ा।



केस स्टडी 2:

प्रातः अपनी बीट में भ्रमण करने के दौरान एक बीट अधिकारी को कूड़ेदान में एक नवजात बच्चा मिला।

केस स्टडी 3:

एक सामान्य नागरिक, पुलिस स्टेशन पर फोन करके बताता है कि एक 12 वर्षीय घरेलू नौकर को बिहार में एक निश्चित पते पर निर्दयतापूर्वक पीटा गया है, किन्तु वह अपनी पहचान नहीं बताना चाहता है।



केस स्टडी 4:

महाराष्ट्र में, नासिक की रहने वाली 14 वर्ष की 'कु' का संतारा के रहने वाले 40 वर्षीय पुरुष के साथ विवाह उसके पिता ने करवा दिया। लड़की की शादी करने के एवज में उसके पिता को 20,000 रुपये प्राप्त हुए। पिता का एक दोस्त लाला ने आने जाने में मदद की और इस सेवा के लिए वर-पक्ष से पैसे लिए। विवाह के बाद 'कु' कभी भी अपने माता-पिता से नहीं मिल पाई और सारा संबंध खत्म हो गया है। वह अपने पति के साथ नागपुर में रह रही है।

केस स्टडी 5:

गुजरात में, बनसंकठा में एक दो महीने की बच्ची 'य' रहती है जो एक दरिद्र परिवार में जन्मी है और अपने माता-पिता की सातवीं संतान है। अहमदाबाद के संतान-हीन दम्पति किशन और सेजल एक स्वस्थ बच्चे को गोद लेना चाहते थे और इसी कार्य के लिए वे हरी से मिले जो 'य' के पड़ोस में ही रहता था। हरी एक अनाथालय चलाता था। हरी ने 'य' के माता-पिता से 'य' को दो हजार देकर खरीदा और किशन और सेजल को बीस हजार में बेचा।



केस स्टडी 6:



15 वर्ष की 'स', पंजाब में पूरे समय के लिए घरेलू नौकर के रूप में कार्य करती है। वह झारखण्ड के एक गांव की निवासी है। उसे यह कार्य एक नियोक्ता संस्था द्वारा दिलाया गया था जिसका झारखण्ड में भी शाखा कार्यालय है। जब से उसने कार्य करना शुरू किया, तब से अब तक उसे कोई तनखाह नहीं दी गई है और जब भी वह अपनी देय राशि की मांग करती है, तब उसका नियोक्ता उसे बुरी तरह पीटता है। इतना ही नहीं उसके नियोक्ता न तो उसे घर से बाहर जाने देते हैं न ही उसे अपने परिवार को चिट्ठी लिखने देते हैं। यद्यपि वह घर जाना चाहती है किन्तु उसे बलपूर्वक वहीं रहने के लिए बाध्य किया जाता है।

केस स्टडी 7:

उज्जैन में एक चिन्तित मां पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है कि उसके तीन वर्षीय बेटे के साथ उसने दुर्यवहार किया है। वह बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं लाना चाहती और डरी हुई है, किन्तु यह चाहती है कि पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।



समूह कार्य का निष्कर्ष निकालना

समूह कार्य के बाद की चर्चा का समाहार निम्नवत् किया जा सकता है:

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामले में पुलिस की भूमिका- बाल अनुकूल कार्य पद्धति

सुगमकर्ता को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि उन्हें देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है ताकि उनके विचारों को सूचीबद्ध किया जा सके।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान: अधिकारी को अपने क्षेत्र के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए (जैसा कि सत्र 1 में चर्चा की जा चुकी है)। ऐसे बच्चों की जानकारी गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी प्राप्त की जा सकती है या ऐसे बच्चे को सहायता मांगने के लिए पुलिस के पास सीधे आना चाहिए।

मुक्त कराना/प्राप्त करना: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ कार्य करते समय पुलिस को मौके पर या किसी शोषणात्मक स्थिति से मुक्त कराते समय संवेदनशील होना चाहिए। बच्चे के साथ पूरी बातचीत दोस्ताना और बिना धौंस वाले तरीके से होनी चाहिए। बच्चों के माता-पिता तथा अभिभावकों के साथ बातचीत के दौरान भी पुलिस कर्मियों को संवेदनशील होना चाहिए।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे की पहचान/प्राप्ति/मुक्त कराने पर पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली कार्य पद्धति (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के सेक्शन 31 के तहत)

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015–2016 स्पष्ट रूप से यह निर्धारण करता है कि जब पुलिस एक देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे को प्राप्त करती है या पाती है तो उनकी क्या कार्य पद्धति होगी। इसके अन्तर्गत:

मूल जरूरतों की पहचान एवं उन्हें पूरा करना: पुलिस को बच्चे की तात्कालिक मूलभूत जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, जूता-चप्पल आदि की जानकारी होनी चाहिए और बच्चे को प्राप्त करने के बाद चाहे कोई उसे लेकर आया हो या पुलिस ने उसे मुक्त कराया हो, जितना जल्दी हो सके उसकी जरूरतों का इंतजाम करना चाहिए। बच्चे की मूल आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं; यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चा किस स्थिति परिस्थिति में पाया गया, उसकी उम्र क्या है, लिंग, क्षमता गैर-शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है।



किसी दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे से बातचीत करने के लिए पुलिस को किसी गैर-सरकारी संस्था के कार्यकर्ता की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चा सहजता से बात कर सके और उसके मानसिक कष्ट में कमी आए। यह एक तात्कालिक आवश्यकता है।

दैनिक डायरी इंट्री/प्रथम सूचना रिपोर्ट: पुलिस को यह जानकारी होनी चाहिए कि देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद प्रत्येक बच्चे के मामले में दैनिक डायरी में एंट्री अवश्य की जानी चाहिए।



चरण 3: एक बच्चा कर्मचारी के साथ शोषण की स्थिति में

(क) बाल श्रम के शोषण के मामले में

पुलिस, आई.पी.सी. के सेक्शन 34, 331, 367, 370 और 376 के तहत, बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के सेक्शन 14, 15 के तहत और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सेक्शन 79 के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसा व्यक्ति सक्षम कारावास से दण्डित होगा जिसकी समयावधि पांच वर्ष तक की हो सकती है और एक लाख रुपये के जुर्माने का भी भागी होगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट बॉन्डेड लेबर सिस्टम (एबॉलीशन) एक्ट 1976 के सेक्शन 10, 16, 22 के तहत प्रावधानों के अनुसार दर्ज की जानी चाहिए, अगर बच्चे से बलपूर्वक कार्य कराया जा रहा था। भारत के उच्चतम न्यायालय ने बलपूर्वक मजदूरी कराने को पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ के केस में ऐसी मजदूरी के रूप में परिभाषित किया है जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है।

दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार, ऐसे नियोक्ता जो बाल श्रम का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिम्मेदारी पुलिस को है, श्रम विभाग की नहीं (दिल्ली हाई कोर्ट) के निर्माण In Court on its Own Motion Vs State of NCT of Delhi (w.p. (c) 4161/2008)]

(ख) बच्चों से भीख मंगवाने की स्थिति में

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सेक्शन 76 के तहत पुलिस कार्रवाई कर सकती है।



(ग) बच्चे के विरुद्ध क्रूरता के मामले में

जिनकी देखरेख और साथ में बच्चे रहते हैं ऐसे व्यक्तियों द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शोषण के मामले में पुलिस को, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सेक्शन 75 के तहत अपराधी पर केस दर्ज करना चाहिए।

(घ) सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चे या भूले/पाए गए बच्चों के बारे में किसे सूचना दें

चाइल्ड लाइन, गैर-सरकारी संस्थाएं, बाल कल्याण समिति और मिसिंग पर्सन स्कवैड (MPs)। बिना देरी किए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। समाचार पत्र में बच्चे के चित्र का प्रकाशन सुनिश्चित करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बच्चे का विवरण प्रसारित होना चाहिए।



किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सेक्शन 32 के तहत भूले हुए बच्चों के बारे में मानक कार्य पद्धति पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://wcd.nic.in/sites/default/files/SOP%20for%20Tracing%20Missing%20Children-24.4.17.pdf>

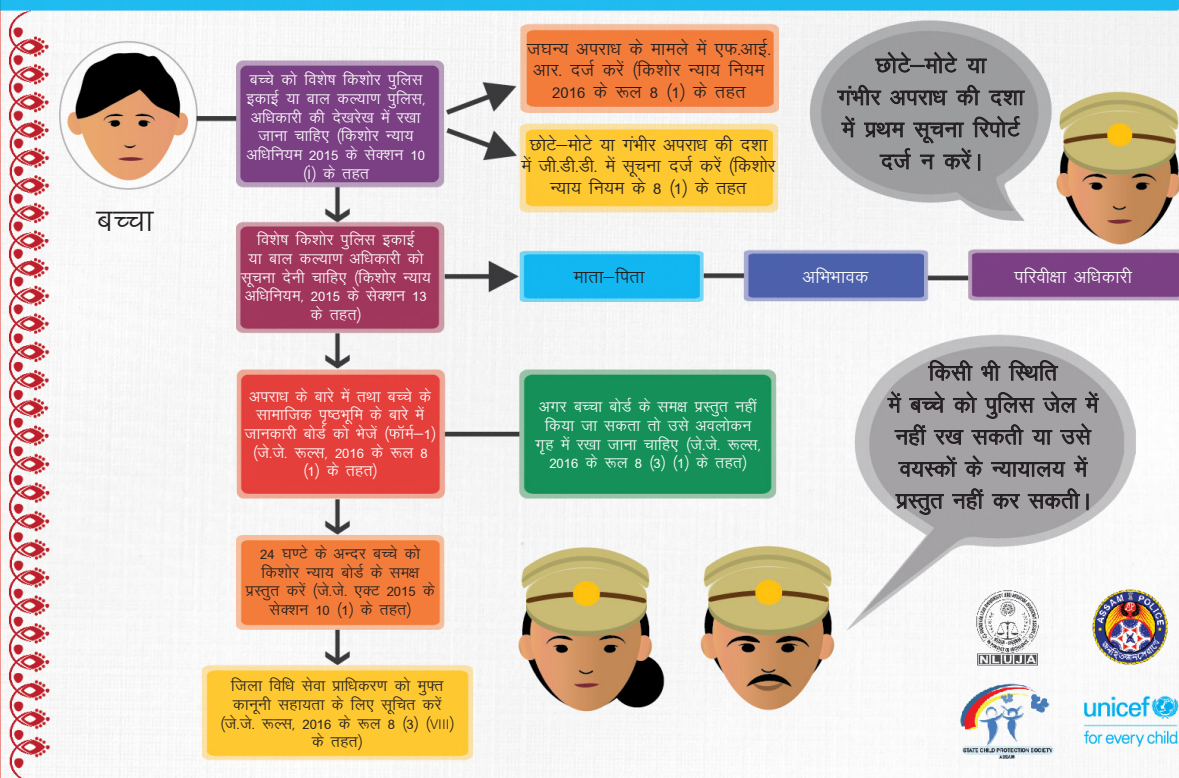
एक गुम हुए बच्चे की शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली कार्य पद्धति




(Source: Standard Operating Procedures for cases of missing children, MWCD)



कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ कार्रवाई के चरण



चिकित्सीय जांच/एम.एल.सी: पुलिस को यह समझना चाहिए कि चिकित्सीय जांच एक वैज्ञानिक साक्ष्य है और आरोपी को एक अपराधी साबित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर से यौन शोषण, शारीरिक दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामलों में। किन्तु यह सभी बच्चों का नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों को ऐसी जांच आवश्यक नहीं होती। यह एक नियमित कार्य पद्धति नहीं बन जानी चाहिए जिसमें सभी बच्चों की चिकित्सीय जांच करवायी जाए, खासतौर से स्त्री प्रजनन अंगों से संबंधित जांचें, यह तब तक नहीं करवायी जानी चाहिए जब तक केस में इसकी आवश्यकता न हो।



विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों से स्पष्ट होता है कि जब किसी बच्चे की सघन चिकित्सीय जांच करवायी जाती है तब वह किस मानसिक आघात से गुजरता है और इसलिए ऐसे दिशानिर्देश दिए हैं जिनका पालन पुलिस के साथ-साथ चिकित्सक तथा अस्पतालों को भी करना चाहिए।

(ड) यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे के मामले में

पॉक्सो (Posco) अधिनियम, 2017 एक ऐसा व्यापक कानून है जो बच्चों को यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ कानूनी



कार्रवाई के प्रत्येक चरण के दौरान, रिपोर्टिंग, साक्ष्य दर्ज करने, जांच और त्वरित कार्रवाई में बाल अनुकूल तौर-तरीकों को शामिल करके, बच्चों के हितों की रक्षा करता है।

- ♦ जिस पुलिसकर्मी को बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट प्राप्त होती है उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की देखरेख और संरक्षण की तुरन्त व्यवस्था करें जैसे कि बच्चे के लिए तुरन्त आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था करना और बच्चे को एक आश्रय गृह में रखना, जैसी भी आवश्यकता उत्पन्न हो।
- ♦ पुलिस की यह भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामले को 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति के संज्ञान में लाए ताकि बाल कल्याण समिति बच्चे की आगे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सके।
- ♦ जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित बच्चे की चिकित्सीय जांच जल्द से जल्द हो, अधिमानतः 24 घण्टे के अन्दर (सी.आर.पी.सी. के सेक्शन 164-A के अनुरूप किन्तु बच्चे के सहायता तंत्र से)
- ♦ अगर अपराध का शिकार बालिका है तो चिकित्सीय जांच अधिमान्यतः महिला डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए।
- ♦ चिकित्सीय जांच के लिए बच्चे या माता-पिता या अभिभावक की सहमति महत्वपूर्ण है।
- ♦ चिकित्सीय जांच की एक प्रति पीड़ित बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को दी जानी चाहिए।
- ♦ माता-पिता या अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा विश्वास करता है उसे चिकित्सीय जांच के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- ♦ जहां भी आवश्यक हो बच्चे को आपातकालीन चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए।
- ♦ यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित महिला से केवल महिला कर्मी ही बात करें और गोपनीयता बनाए रखें।
- ♦ शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों से केस पर चर्चा पूर्ण निजता वाले स्थान पर होनी चाहिए ताकि बच्चे को ठेस न पहुंचे।
- ♦ यह सुनिश्चित करें कि मीडिया द्वारा कोई प्रश्न न पूछा जाए और फोटो न खींची जाए।
- ♦ उपयुक्त समय देकर तथा किसी परिवार के सदस्य की उपस्थिति में ही बच्चे का बयान लिया जाना चाहिए।
- ♦ किसी भी स्थिति में पीड़ित बच्चे को रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए।
- ♦ चिकित्सकों तथा बाल कल्याण समिति की संस्तुति के अनुसार बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए और इसकी सूचना दैनिक डायरी की एंट्री और चिकित्सीय जांच रिपोर्ट के साथ दी जानी चाहिए।



बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना: पुलिस की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अन्दर, परिस्थिति रिपोर्ट के साथ, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सेक्शन 32 के तहत बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

नोट: प्रत्येक बच्चा जो यौन दुर्व्यवहार से पीड़ित है या दिव्यांग है या बीमार है, को बाल कल्याण समिति के समक्ष देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, न ही उन सभी को देखरेख तथा संरक्षण के लिए किसी संस्थान में रखना जरूरी है। यह तभी आवश्यक है जब बच्चा परिवार में सुरक्षित नहीं है या परिवार बच्चे की देखरेख करने में असमर्थ है, तब बाल कल्याण समिति बच्चे का दायित्व लेती है। बच्चे का एक ऐसा परिवार हो सकता है जो उसकी देखभाल अच्छी तरह करता है और उसे जरूरी हर प्रकार की सहायता दे सकता है। पॉक्सो के ऐसे मामलों में जहां परिवार उपयुक्त सहायता दे सकता है, वहां पुलिस को बाल कल्याण समिति को केस के बारे में सूचना देनी चाहिए किन्तु ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

बाल कल्याण समिति ऐसे मामलों का अंतिम निर्णय कर सकती है, जिसमें बच्चे की देखरेख, संरक्षण, विकास और पुनर्वास के साथ-साथ उनकी मूल आवश्यकताओं तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े प्रश्न हों।

त्याग करने के लिए माता या पिता या माता-पिता दोनों बच्चे को सीधे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावेदार न होने या लापता होने की रिपोर्ट: देखरेख और संरक्षण के अनेक जरूरतमंद बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तक-ग्रहण में दिया जा सकता है। इसके लिए दत्तक-ग्रहण एजेंसी पुलिस के पास दावेदार न होने की रिपोर्ट के संपर्क करेगी और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि क्या वास्तव में बच्चे का कोई दावेदार नहीं है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में, समाचार पत्रों और टेलिविज़न पर प्रकाशित करने की तिथि के बाद दो माह तक इंतजार करने के उपरान्त दत्तक-ग्रहण एजेंसी पुलिस से संपर्क करेगी। दावेदार न होने की रिपोर्ट यह दर्शाएगी कि जिस बच्चे की रिपोर्ट ली जा रही है उस बच्चे की दावेदारी के लिए किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। लापता होने की रिपोर्ट, परित्यक्त बच्चों के मामले में ली जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि बच्चे के माता-पिता या अभिभावकों का पता नहीं लगा। इस रिपोर्ट को देने का प्राधिकार केवल पुलिस उप-अधीक्षक को है।

घर वापसी: पुलिस की तीसरी बटालियन की यह जिम्मेदारी है कि बाल कल्याण समिति आदेश के अनुसार बच्चे की घर वापसी के लिए गृह राज्य या निवास स्थान पर वापसी या स्थानांतरण के समय बच्चे के रक्षार्थ साथ जाएं।

सी.आर.पी.सी. 164 के तहत बयान: पुलिस को कानूनी जरूरतों का पालन करना चाहिए और सी.आर.पी.सी. के सेक्शन 164 के तहत बच्चे का बयान प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराना चाहिए।

यद्यपि हर मामले में, सी.आर.पी.सी. के सेक्शन 124 के तहत बच्चे का बयान दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है। इसका निर्णय अलग-अलग केसों के आधार पर किया जाएगा। जहां यह प्रतीत होता है कि बच्चा दबाव जैसे- हिरासत में बलात्कार, कौटुम्बिक व्यभिचार, बाल देह व्यापार, बच्चों की तस्करी आदि के कारण अपने पहले बयान से मुकर जाएगा। किसी भी मामले में बच्चे का साक्ष्य तब रिकॉर्ड किया जाता है, जब केस की सुनवाई शुरू हो जाती है।

जब बच्चा किसी संस्थान में रखा गया हो, तब उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष लेने के लिए ले जाने हेतु पुलिस को बाल कल्याण समिति और संस्थान के कार्यकारी पदाधिकारी से उपयुक्त अनुमति लेनी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या परामर्शदाता बच्चे के साथ न्यायालय में जाए।

भेदभाव न करना: बच्चे के साथ कार्य करने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनना पड़ेगा। पुलिस किसी बच्चे के सामाजिक स्तर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय





पुलिस को भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए, खासकर निरीह और कमजोर बच्चों के साथ तो कदापि नहीं।

विभिन्न हितधारकों के साथ कार्यकारी संबंध स्थापित करना: बच्चों के हित में पुलिस को विभिन्न हितधारकों जैसे – बाल कल्याण समिति, समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और गैर सरकारी संस्थाएं, अस्पतालों, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, विशेष शिक्षक, परामर्शदाता आदि के साथ संपर्क बनाकर रखना चाहिए क्योंकि कई मामलों में इनकी पहले बुलावे पर ही आवश्यकता होगी।

अच्छे प्रयासों के उदाहरण – उत्तर प्रदेश – बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन पायलट

उत्तर प्रदेश में, बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाने की पहल के पायलट के रूप में, सभी थानों की और विशेष किशोर पुलिस इकाई के सभी संपर्क नम्बरों की एक 'डायरेक्टरी' तैयार की गई है।

इससे इस तथ्य को बल मिलेगा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इसके एक प्रगतिशील सूचक है। बाल अनुकूल पुलिस बल की यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के बीजिंग रूल्स, 1985 से उत्पन्न हुई।



वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 20 मॉडल विशेष किशोर पुलिस इकाई और 20 बाल अनुकूल पुलिस स्टेशनों के लिए संसाधन की व्यवस्था और स्थापना की प्रक्रिया, पुलिस और गृह विभाग की सहायता से शुरू की जा चुकी है। संबंधित जिलों में आवश्यक संसाधन और ढांचे तैयार किए जा चुके हैं।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पॉक्सो अधिनियम, 2015 पर लगभग 900 पुलिस

अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस के महिला समन प्रकोष्ठ के द्वारा यूनिसेफ की सहायता से किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बीस जिले आच्छादित किए गए हैं। महिला समन प्रकोष्ठ आगे भी विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल अनुकूल पुलिस स्टेशनों के सुदृढीकरण के लिए, कोचिंग, कार्य करते समय मदद देकर और स्थानिक तकनीकी सहयोग देकर प्रयास जारी रखेगा।



बाल मित्र पुलिस थाने का चित्र – उत्तर प्रदेश क्रेडिट्स

Credits- <http://ehsaas.org.in/upcoming-events/child-friendly-police-station/>

बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के सर्कुलर: पुलिस को बच्चों से संबंधित सर्कुलरों तथा विभिन्न विभागों के आदेशों की नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए, विशेष रूप से उनके बारे में जो देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की श्रेणी में आते हैं।

इस पुलिस को अपनी कार्य पद्धति तय करने में मदद मिलेगी। Some such SOPs/circulars are annexed for reference in Annexure II.

¹ <https://uppolice.gov.in/site/writereaddata/siteContent/msp/201810051732103474Child%20Friendly%20Police%20Directory.pdf>



चरण 4: गतिविधि: सही या गलत त्वरित अभ्यास (वैकल्पिक)



समय

10–15 मिनट



उद्देश्य

- ◆ किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारे में अपनी जानकारी की समीक्षा करने में मदद मिलेगी।
- ◆ प्रतिभागियों को किशोर न्याय तंत्र और बच्चों के मामलों के संदर्भ में संवेदित करना।

कथन

- ◆ किशोर श्रम अधिनियम के अनुसार बच्चे की उम्र 14 वर्ष है। (सही/गलत)
- ◆ देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (सही/गलत)
- ◆ किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार 14 वर्ष तक के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। (सही/गलत)
- ◆ बाल श्रमिक को मुक्त कराने के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (सही/गलत)
- ◆ 1098 चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर है। (सही/गलत)
- ◆ बंधुआ मजदूर और बाल मजदूर का एक ही अर्थ है। (सही/गलत)
- ◆ बंधुआ मजदूरी एक दण्डनीय अपराध है। (सही/गलत)
- ◆ सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (सही/गलत)
- ◆ बाल गृह और अवलोकन गृह दोनों देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए हैं। (सही/गलत)
- ◆ अगर पुलिस को कोई बच्चा कूड़ेदान में मिलता है तो वह उस बच्चे को किसी भी अच्छे परिवार जो बच्चे को पालना चाहते हैं, को दे सकते हैं। (सही/गलत)
- ◆ बाल श्रम के मामले में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। (सही/गलत)
- ◆ जो लोग बाल श्रमिकों से काम करा रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कोई शिकायत नहीं कर सकती। (सही/गलत)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति



समय
75 मिनट



चरण 1: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में पुलिस की भूमिका पर चर्चा करने से पहले आईए एक बार दोहरा लें कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे कौन हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के सेक्शन 2 (13) के अनुसार "कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा" का अर्थ है एक ऐसा बच्चा जो कानून का उल्लंघन करने का आरोपित है या अपराधी है गैर वारदात के दिन जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं हुई हो।

समूह कार्य के लिए केस स्टडीज

केस स्टडी 1

'मं' एक छः वर्ष के उम्र की लड़की है जो दिल्ली जैसे महानगर में झोपड़ पट्टी में रहती है। वह कूड़ा बीनकर जो आमदनी होती है उससे अपने परिवार की मदद करती है। 'मं' का पिता शराबी है। एक दिन उसके पिता ने उसे बहुत पीटा और घर से बाहर फेंक दिया क्योंकि उसे 'मं' शराब के लिए और पैसे नहीं दे पायी। डरी हुई 'मं' को और कुछ न सूझा, उसे लगा कि अगर जल्दी से पैसे लाने हैं तो चोरी करनी पड़ेगी। जिस घर में वह चोरी करने घुसी उस घर के चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। पुलिस बुलाई गई और 'मं' को उन्हें सौंप दिया गया।



समूह चर्चा निर्देशित करने के लिए प्रश्न:

- क्या 'मं' जैसे बच्चों के लिए कोई विशेष कानून है?
- 'मं' जैसे बच्चों के साथ इस कानून में किस तरह पेश आया जाता है?
- क्या 'मं' एक बाल अपराधी है या बच्चा है?
- कौन से दो प्रकार के बच्चे हैं जो किशोर न्याय कानून में शामिल हैं?
- इस मामले में जिम्मेदार प्राधिकरण (Authority) कौन सी है, उसकी भूमिका क्या है और वह कहाँ पर है?

केस स्टडी 2

'रा' (उम्र 14 वर्ष), 'सु' (उम्र 16 वर्ष), 'सु' (उम्र 30 वर्ष) उसके दो बच्चे (2 वर्ष और 18 वर्ष), 'मी' (उम्र 21 वर्ष) और 'दी' (उम्र 45 वर्ष), रेड लाईट एरिया में पुलिस की रेड के दौरान 10 बजे रात में पकड़ी गई, जब देह व्यापार जोर-शोर से चल रहा था।

समूह चर्चा को निर्देशित करने के लिए प्रश्न

- ऐसे मामले में पुलिस क्या करेगी?
- क्या जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें मुक्त कराया समझा जाएगा या उन्हें पुलिस द्वारा अपराधी के रूप में हिरासत में लिया जाएगा?
- इस केस में किस कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी?
- रेड के बाद पुलिस उन्हें कहाँ लेकर जाएगी?
- क्या उन्हें पुलिस थाने में रखा जा सकता है?



- ♦ क्या रेड के दौरान पकड़े गए या मुक्त कराए गए या पाए गए व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच कराने की आवश्यकता है?
- ♦ इस तरह के केस में लोगों के लिए किस तरह की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होगी और ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा?

केस स्टडी 3

‘रा’ (10–12 वर्ष) और ‘मं’ (18–19 वर्ष) को पुलिस ने चोरी के इल्जाम में शाम को 4 बजे पकड़ा। ‘मं’ सड़क पर गुजारा करने वाला बच्चा है और उसका परिवार किसी अन्य राज्य में रहता है, जबकि ‘रा’ अपने परिवार के साथ उसी क्षेत्र में निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में रहता है।



समूह चर्चा को निर्देशित करने वाले प्रश्न

- ♦ क्या ‘रा’ और ‘मं’ अपराधी हैं?
- ♦ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 किस प्रकार ऐसे बच्चे को पारिभाषित करता है जो अपराध करने का आरोपी है?
- ♦ अपराध करने के आरोपित बच्चे के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए CrPC के अलावा एक अलग कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी।
- ♦ भारत में अपराध की जिम्मेदारी की क्या उम्र है?
- ♦ सामने लाए गए या अपराध के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति की उम्र की पुष्टि पुलिस कैसे कर सकती है?
- ♦ किशोर न्याय रूल्स के मुताबिक चोरी एक छोटा-मोटा अपराध है या गंभीर अपराध है?
- ♦ छोटे-मोटे अपराध की कानूनी कार्रवाई की कार्य पद्धति कानून द्वारा क्या निर्दिष्ट है?
- ♦ अगर ‘मं’ वयस्क की श्रेणी में आ जाता है तो केस की सुनवाई कैसे की जाएगी?
- ♦ अगर ‘मं’, जो एक छोटे-मोटे अपराध के लिए पकड़ा गया है, बच्चा साबित हो जाए, किन्तु अपने परिवार के साथ नहीं रहता था उसका परिवार नहीं है तो पुलिस क्या करेगी? (चर्चा में उन मुद्दों जैसे कि परिवार की सूचना देना, चोरी की गई सामग्री की रिकवरी के लिए पूछताछ, हिरासत में लेना, बच्चे की निगरानी, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आदि पर बातचीत हो।)

केस स्टडी 4

‘श’ (17 या 18 वर्ष का बालक) एक साड़ी की दुकान में काम करता है, वह उसी दुकान में डकैती डालकर, अपने मालिक की हत्या करके फरार हो जाता है। बाद में वह पांच वर्ष पश्चात् पकड़ा जाता है।



समूह चर्चा को निर्देशित करने वाले प्रश्न

- ♦ क्या 23 या 24 वर्ष पर पकड़े जाने के बाद भी ‘श’ कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा ही माना जाएगा?
- ♦ क्या पुलिस ‘श’ को गिरफ्तार (Arrest) करेगी या हिरासत (Apprehend) में लेगी?
- ♦ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए ‘श’ को कहां प्रस्तुत करना पड़ेगा?
- ♦ क्या पुलिस ‘श’ से CrPC के सेक्शन 161 और 162 के तहत अपराध स्वीकृति (Confession) करवाएगी?
- ♦ क्या पुलिस पूछताछ के लिए ‘श’ की हिरासत की अवधि बढ़वाएगी?
- ♦ इस केस में पुलिस की किन अन्य कार्य पद्धतियों का पालन किया जाएगा, जैसे कि व्यक्तिगत तलाशी मेमो, चोरी की गई सम्पदा और वसूली अभिलेखों को जब्त करना, चार्ज शीट भरना आदि।

समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण और बड़े समूहों में चर्चा



समय
90 मिनट



सुगमकर्ता के लिए नोट: हर केस स्टडी के सामान्य परिणाम: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ कार्रवाई करते समय अपनी मनोवृत्ति और संवेदनशीलता पर ध्यान दें। इस बात को सुगमकर्ता बार-बार दोहराएं।

अपेक्षित परिणाम- केस स्टडी 1

भारत में किशोर न्याय कानून का समग्रता से परिचय देने; इसे क्या कहा जाता है; यह कैसे उत्पन्न हुआ; किशोर न्याय कानून ने बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में क्यों पारिभाषित किया; और बच्चों के वह कौन से दो वर्ग हैं जिनके लिए यह लागू है?

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे में अंतर से परिचित कराने के लिए, इस बात की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए कि कौन से प्राधिकारी जिम्मेदार हैं और इनके साथ कार्य करने के लिए सक्षम ठहराए गए हैं; इन्हें क्या कहा जाता है जैसे कि बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड; इनमें कौन शामिल हैं; तथा यह कहाँ पर स्थित हैं?



अलग-अलग कानूनी संस्थाओं जिनकी आवश्यकता बच्चों के साथ कार्य करने के दौरान पड़ेगी, के विभिन्न विशेष भूमिकाओं पर जोर देने के लिए— किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोई भी न्यायालय।

किशोर न्याय कानून के उस सेक्शन से परिचित कराना जिसमें विशेष अपराधों का उल्लंघन है और जिस व्यक्ति या देखभालकर्ता के नियंत्रण में बच्चा है और वह व्यक्ति अगर बच्चे को किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है या उसका शोषण करता है तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर सकती है।

अपेक्षित परिणाम- केस स्टडी 2

प्रतिभागियों को यह समझने में मदद करने के लिए कि कानून के नजरिये में क्या बदलाव है जैसे कि बच्चे जो वेश्यावृत्ति करते हुए पाए जाते हैं।

इसके आगे यह समझने में मदद करने के लिए कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों में क्या अंतर है जो किशोर न्याय कानून ने निर्धारित किया है, उदाहरण के लिए हमारे देश में वेश्यावृत्ति या भीख मांगने को गैर कानूनी घोषित किया गया है किन्तु बच्चे जो वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं या भीख मांगते हैं वे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की श्रेणी में क्यों नहीं हैं।



यह समझ स्पष्ट करने के लिए कि सही बच्चों को कहाँ रखा जा सकता है; विभिन्न श्रेणी के बच्चों के लिए विभिन्न संस्थाओं में क्या अन्तर है; और ये संस्थान कहाँ पर हैं।

ऐसे केस में पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, उस कार्य पद्धति के सभी पक्षों को समझने के लिए— बच्चों की देखरेख, चिकित्सीय जांच, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना, अपराध के शिकार और अपराध के आरोपी का बयान दर्ज करना, नियमित वयस्कों की अदालत में सुनवाई आदि।

इस बात को दोहराना कि ऐसे केस में एक नियमित अदालत या एक किशोर न्याय बोर्ड या एक बाल कल्याण समिति क्या विभिन्न भूमिकाएं निभा सकते हैं।

एक स्पष्ट संदेश देने के लिए कि एक “कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे” के साथ-साथ “देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे” के पुनर्वास या घर वापसी का अधिकार किशोर न्याय कानून के अन्तर्गत गठित संस्थाओं जैसे किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति (जैसा भी केस हो) में निहित है।

अपेक्षित परिणाम- केस स्टडी 3

जो बच्चे कानून का उल्लंघन करने के दोषारोपित हैं या जिन्होंने अपराध किया है उनके संदर्भ में किशोर न्याय कानून के नजरिए में बदलावों के बारे में चर्चा करना और प्रतिभागियों को यह समझने में सहायता देना कि जो बच्चे अपराध करते हैं उनके साथ क्यों अपराधियों की तरह बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनसे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के रूप में बर्ताव किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था के परिवर्तन का सिद्धान्त (Principal of Diversion) और दृढ़ता देने वाला न्याय (Restorative Justice) को दोहराना होगा।



उम्र की पुष्टि के लिए अभिलेखीय साक्ष्य और अस्थि जांच की आवश्यकता तथा जरूरत को स्पष्ट करने के लिए।

छोटे-मोटे अपराधों के लिए किशोर न्याय अधिनियम और छोटे-मोटे अपराधों के केन्द्रीय नियम द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति की स्पष्ट समझ बनाने और विशिष्ट स्थितियों जैसे कि सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चे, जिनका परिवार नहीं है, द्वारा किया गया छोटा अपराध या ऐसा छोटा-मोटा अपराध जो एक वयस्क और एक बच्चे ने मिलकर किया हो। समूह को बाल मित्रवत् कार्य पद्धति के लिए सर्व सहमति की तरफ ले जाना जो शायद किशोर न्याय अधिनियम में पूरी तरह स्पष्ट न हो।

प्रतिभागियों को, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाईयों की भूमिका को समझने में सहायता देना।

अपेक्षित परिणाम- केस स्टडी 4

किशोर न्याय अधिनियम और केन्द्रीय नियमों द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति की स्पष्ट समझ विकसित करना:

- ♦ गंभीर अपराधों के लिए।
- ♦ ऐसे अपराधों के लिए जब बच्चा वयस्क होने के बाद पकड़ा जाता है।

गंभीर अपराधों में भी बाल अनुकूल कार्य पद्धति की आवश्यकता को दोहराने के लिए। पुलिस की कार्रवाई में बाल मित्रवत् पद्धति का इस्तेमाल कैसे करें जैसे- ऐसे मामलों में जिसमें व्यक्तिगत तलाशी शामिल है, चुरायी गई सम्पत्ति और वसूली के कागजातों की जब्ती, बच्चे से पूछताछ करना (आपराधिक रोक में पूछताछ जिसे Interrogation कहा जाता है), गवाह के रूप में बच्चे या उसके परिवार को समन भेजना (सेक्शन 160 – CrPC), पुलिस द्वारा बच्चे का बयान दर्ज करना (सेक्शन 161 & 162 – CrPC), कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का रिकॉर्ड रखना आदि।



बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका को पुनः याद करना।

किशोर न्याय कानून के उद्देश्य को समझना।




चरण 2: क्या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे भी हो सकते हैं?

यह उनकी विशिष्ट स्थिति, आरोपित अपराध की प्रकृति और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ उन्हें रखने की संभावना जिसमें दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोई संभावना आदि पर निर्भर करेगा। ऐसे बच्चों में शामिल होंगे:

- ♦ अनाथ बच्चे जो अपराध करने के आरोपी हैं
- ♦ सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चे जिन्होंने छोटा-मोटा अपराध किया है
- ♦ ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार कानून तोड़ा है।

ऐसे बच्चे जो वेश्यावृत्ति या भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, अब उनकी गिनती कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों में नहीं होगी। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के सेक्शन 76 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें स्पष्ट रूप से, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की परिभाषा में शामिल किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया कि ये बच्चे इतने कमजोर तथा बेबस हैं कि इनके साथ विभिन्न तरह से शोषण किया जा सकता है व उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है एवं यह कि उन्हें अपराधिकरण से मुक्त कराने की जरूरत है।



स्रोत: लीगल एड फोरम, दिल्ली



चरण 3: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्य पद्धति

ऐसे बच्चे को हिरासत में लेना जो कानून का उल्लंघन करने का आरोपित है (किशोर न्याय अधिनियम, 2015-सेक्शन-10)

- कानून का उल्लंघन करने का आरोपित बच्चा जैसे ही पुलिस हिरासत में लिया जाता है उसे जल्द से जल्द विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदस्थ बाल कल्याण अधिकारी के जिम्मे सुपुर्द कर देना चाहिए, जो बच्चे को छोड़कर, हिरासत में लिए जाने के 24 घण्टे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- किसी भी मामले में कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा। किसी भी स्थिति में बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, न ही उसे किसी वयस्क अपराधी के साथ थोड़े समय के लिए भी रखा जाएगा।



कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चे की जमानत (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 सेक्शन-12)

- जब कोई बच्चा जमानत होने लायक या जमानत न होने लायक अपराध करने का आरोपी है और पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है या रोका गया है या, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होता है या प्रस्तुत किया गया है तब ऐसे बच्चे को बिना शर्त के या सशर्त जमानत पर रिहा करना चाहिए या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाना चाहिए।
- अगर कोई हिरासत में लिया गया बच्चा थानाध्यक्ष द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाता तो उस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक केवल अवलोकन गृह में रखा जाना चाहिए।

माता-पिता, अभिभावक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देना (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 सेक्शन-13)

- जब कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है, तब पुलिस स्टेशन का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिसके पास बच्चा लाया गया हो, को हिरासत में लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके सूचना देनी चाहिए:
 - (क) ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को, अगर उन्हें ढूंढा जा सके और उन्हें निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के समय वे भी उपस्थित रहें; और
 - (ख) परिवीक्षा अधिकारी और अगर परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के अन्दर सामाजिक जांच रिपोर्ट में, बच्चे का पिछला जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा अन्य संबंधित जानकारी जो बोर्ड को जांच करने में मदद दे सकती हैं, शामिल की जानी चाहिए।



कानून का उल्लंघन करने वाले भागे हुए बच्चे से जुड़े प्रावधान (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 सेक्शन-26)

- कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे का प्रभार कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकता है जो इस अधिनियम के तहत विशेष गृह, या अवलोकन गृह या सुरक्षा का स्थान या किसी व्यक्ति या संस्था जहां बच्चे को रखा गया था, वहां से वह भागा हुआ है।
- बच्चे को 24 घण्टे के अन्दर अगर सम्भव हो तो उस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने बच्चे के संबंध में मूल आदेश पारित किया था या सबसे नज़दीकी बोर्ड के समक्ष जहां बच्चा पाया गया है।

मॉडल रूल्स

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले पुलिस और अन्य एजेंसियों के कार्य (किशोर न्याय 2016-रूल-8)

- ♦ बच्चे के जघन्य अपराध करने का आरोपी होने या वयस्क के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपराध करने का आरोपी होने के अलावा किसी भी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी।
- ♦ अन्य सभी मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी आरोपित बच्चे से जुड़ी जानकारी को सामान्यतः दैनिक डायरी में दर्ज करेंगे। इसके बाद बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और वह परिस्थितियां जिसमें बच्चे ने वह अपराध किया जिसके लिए वह पकड़ा गया है, जहां जैसा लागू हो, और पहली सुनवाई से पहले इसे बोर्ड को अग्रेषित करना।
- ♦ जब तक बच्चे के हित में हो, पकड़ने के अधिकार का प्रयोग केवल जघन्य अपराध में ही करना चाहिए।
- ♦ सभी मामलों में जिसमें छोटे-मोटे और गंभीर अपराध शामिल हैं जहां बच्चे को पकड़ना उसके हित में नहीं है, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को, बच्चे पर आरोपित अपराध की प्रकृति, बच्चे की सामाजिक रिपोर्ट के साथ बोर्ड को अग्रेषित कर देनी चाहिए और बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को सूचित कर देना चाहिए कि सुनवाई के लिए बच्चे को बोर्ड के समक्ष कब प्रस्तुत करना है। बोर्ड का पता जहां बच्चे को लाना है और तारीख तथा समय जिस दिन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है, की जानकारी भी माता-पिता या अभिभावक को दी जानी चाहिए।
- ♦ एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या एक कार्यकर्ता (Case worker) को, बच्चे को बोर्ड के समक्ष हिरासत में लेने के 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत करने के समय साथ में रखना चाहिए।



कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बच्चे को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी को:

- (क) बच्चे को नज़दीकी पुलिस स्टेशन के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करने में देर नहीं करनी चाहिए।
- (ख) हथकड़ी या जंजीर या अन्य किसी प्रकार की बेड़ी नहीं लगानी चाहिए और किसी प्रकार का दबाव या बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- (ग) बच्चे के माता-पिता या अभिभावक के माध्यम से बच्चे को सीधे तौर पर बताया जाना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या इल्जाम लगाए गए हैं और अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तो उसकी एक प्रतिलिपि बच्चे को दी जानी चाहिए या पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति माता-पिता या अभिभावक को दी जानी चाहिए।
- (घ) बच्चे को आवश्यक चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए की सहायता या एक विशेष शिक्षक या अन्य कोई सहायता जो बच्चे के लिए जरूरी हो, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध करवाएं।
- (ङ) बच्चे को अपना अपराध स्वीकारने के लिए दबाव न दें और विशेष किशोर पुलिस इकाई या एक बाल अनुकूल परिसर या पुलिस स्टेशन के किसी बाल मित्रवत् कोने जो पुलिस स्टेशन जैसा महसूस नहीं होता है या हिरासत में लेकर पूछताछ जैसा नहीं लगता, में ही उससे पूछताछ की जा सकती है। पुलिस द्वारा बच्चे से पूछताछ के समय माता-पिता या अभिभावक भी उपस्थित रह सकते हैं।
- (च) बच्चे को किसी तरह के बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए न कहें।
- (छ) जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण को बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचित करें।



कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना (किशोर न्याय रूल्स, 2016, रूल-9)

- जब कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बच्चा हिरासत में लिया जाता है, तो उसे हिरासत में लेने के 24 घण्टे के अन्दर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पुलिस को इस बात की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसे हिरासत में लेने का कारण क्या है। किशोर न्याय बोर्ड को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की हुई, कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे की पृष्ठभूमि की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा अगर किशोर न्याय बोर्ड या उसके किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि वह ऐसे समय पकड़ा गया जब यह संभव नहीं था या दूरी के कारण, तब बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उसे अवलोकन गृह, या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद हिरासत में लेने के 24 घण्टे के अन्दर बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा जिला विधि प्राधिकरण को बच्चे को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचना दी जानी चाहिए।



कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को किशोर-न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद (किशोर न्याय मॉडल रूल्स, 2016, रूल-10)

- एक बच्चे द्वारा जघन्य अपराध किए जाने का आरोप होने पर, अगर बच्चे की उम्र 16 वर्ष पूरी हो चुकी हो तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को गवाहों के बयान जो उन्होंने दर्ज किए हैं तथा अन्य कागजात जो छानबीन के दौरान तैयार किए गए हैं को, बच्चे को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर, बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिसकी एक प्रति बच्चे या उसके माता-पिता या अभिभावक को भी देनी चाहिए।
- छोटे-मोटे और गंभीर अपराध के मामले में अन्तिम रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष जल्द प्रस्तुत की जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में पुलिस को सूचना प्राप्त होने के दिन से यह अवधि दो माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।



चरण 4: बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों की कार्य पद्धति (किशोर न्याय मॉडल रूल्स, 2016, रूल- 54)

- बच्चे के विरुद्ध हुए अपराध की शिकायत, बच्चा, परिवार, अभिभावक, दोस्त या बच्चे के शिक्षक, चाइल्ड लाइन सेवाएं या अन्य कोई संबंधित व्यक्ति, संस्था या संस्थान दर्ज करा सकते हैं।
- बच्चे के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करनी चाहिए।



- बच्चे के विरुद्ध एक गैर-संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर, पुलिस उसे दैनिक डायरी में दर्ज करेगी और संबंधित मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट किया जाएगा।
- बच्चों के विरुद्ध हुए सभी अपराधों की छानबीन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।



यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और मॉडल गाईड लाईन्स, पॉक्सो, 2013

मामलों की रिपोर्टिंग

- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध की शिकायत मिलने पर विशेष किशोर पुलिस इकाई को कारण दर्ज करना चाहिए और 24 घण्टे के अंदर बच्चे की तात्कालिक देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें, बच्चे को शेल्टर हॉम या नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराना, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेषज्ञ सेवाएं जैसे— पैरामेडिक्स, डॉक्टर, आदि की भी व्यवस्था करना शामिल है।
- 24 घण्टे के अन्दर मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति, विशेष न्यायालय को दें।



चरण 5: प्रत्येक पुलिस थाना और विशेष किशोर पुलिस इकाई में अनिवार्य जानकारी

निम्नलिखित विवरण युक्त एक पूर्ण और अद्यतन सूची तैयार होनी चाहिए तथा ये सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/थाना अध्यक्ष एवं ड्यूटी अफसर के पास हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए व हर पुलिस थाने और विशेष किशोर पुलिस इकाई में किसी निर्धारित स्थान पर होनी चाहिए:

- सभी किशोर न्याय बोर्डों, उनका निर्धारित स्थान, बैठकों का समय और दिन तथा उनका निर्धारित अधिकार क्षेत्र;
- किशोर न्याय बोर्ड के सभी सदस्यों के नाम, पता और फोन नम्बर;
- मुख्य परिवीक्षा अधिकारी और सभी परिवीक्षा अधिकारियों का नाम, पता एवं फोन नम्बर;
- सभी अवलोकन गृहों के पते, संस्थान के प्रभारी का नाम और संपर्क नम्बर;
- सभी सुरक्षा के स्थानों, उनका पता तथा संस्थानों के प्रभारियों के नाम और संपर्क नम्बर;
- सभी गृहों, उनके पते, संस्थान के प्रभारी व्यक्ति का नाम और संपर्क नम्बर;
- बाल संरक्षण अधिकारियों/जिला बाल संरक्षण इकाई के संपर्क व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नम्बर;
- चाईल्ड हेल्पलाइन और ऐसी अन्य संस्थाएं जो बाल संरक्षण और बच्चों के अधिकारों को लागू करने के लिए कार्य कर रही हैं तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2016 के तहत चिन्हित तथा पंजीकृत हैं;
- सभी गैर-सरकारी संस्थाएं जो विशेष किशोर पुलिस इकाई से जुड़ी हों— उनके नाम, पता, फोन नम्बर और ऐसी संस्था के जिम्मेदार व्यक्ति का संपर्क नम्बर;
- विशेष शिक्षकों, अनुवादकों के साथ-साथ परामर्शदाताओं के नाम, पता और संपर्क नम्बर;
- सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स जहां सुविधाएं हैं और बच्चों की देखरेख करते हैं, के पते तथा संपर्क नम्बर;
- सभी विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों तथा सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य हैं, का विवरण;

- ♦ जिले में पारा लीगल वालंटियर, जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, चाइल्ड लाइन सेवाएं, संपर्क नम्बर सहित;
- ♦ सभी पुलिस स्टेशनों में प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।



चरण 6: बाल मित्रवत् कार्य पद्धति तथा अधिभावी सिद्धान्त (Overriding Principles) जो बच्चे से संबंधित किसी भी कार्य को नियंत्रित (Govern) करते हैं

बच्चे की गरिमा का सम्मान और निजता को बनाए रखना चाहिए। सभी बच्चों, चाहे वे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हों या देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे हों, के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए जो उनकी गरिमा की भावना एवं महत्व के लिए उपयुक्त हो, बच्चे की उम्र का ख्याल रखते हुए व बच्चे को समाज में पुनः शामिल करने की भावना के साथ, उसकी समाज में रचनात्मक भूमिका को प्रेरित करना चाहिए। बच्चे जो पुलिस के संपर्क में आते हैं वे पहले से ही भय और तनाव की स्थिति में रहते हैं, इसलिए उच्च स्तर की संवेदनशीलता की जरूरत होगी ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके।

- ♦ बच्चों को केवल हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी बच्चे को हथकड़ी या बेड़ी नहीं पहनाई जा सकती है।
- ♦ अगर कानून का उल्लंघन करने का आरोपी बच्चा ऐसे समय पर हिरासत में लिया गया है जब किशोर न्याय बोर्ड अपनी बैठकें नहीं कर रहा है, तब बच्चे को प्रधान न्यायाधीश और/या बोर्ड के किसी भी सदस्य के समक्ष जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करना चाहिए (किशोर न्याय अधिनियम, 2015, के सेक्शन-10)।
- ♦ किसी भी बच्चे को पुलिस कस्टडी या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाना चाहिए (किशोर न्याय अधिनियम, मॉडल रूल्स 2016, सेक्शन-10(1),।
- ♦ किसी बच्चे को केवल उपयुक्त सुविधा/बाल देखरेख संस्थान, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत चिन्हित और पंजीकृत है, में ही रखा जा सकता है।
- ♦ सभी कार्यों में बच्चे की सुरक्षा सबसे प्रमुख होगी।
- ♦ कोई भी आरोपी या संदिग्ध आरोपी को बच्चे के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए और जहां पर आपराधिक घटना का शिकार तथा आरोपी दोनों बच्चे हैं उन्हें भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
- ♦ प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे ही बच्चा पुलिस के संपर्क में आता है, तो उसके माता-पिता/अभिभावक/परिवार से संपर्क करने का शीघ्र ही व्यापक प्रयास किया जाना चाहिए।
- ♦ उस पुलिस अधिकारी को जो बच्चे की कार्रवाई कर रहा है, चाहे बच्चा कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा हो या देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा हो, को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और



संरक्षण) अधिनियम, 2015 का सख्ती से पालन करना चाहिए जिसमें अधिनियम में निहित मूल सिद्धान्त भी शामिल होने चाहिए।

- ♦ बच्चों से संबंधित हर कार्य में बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्त पर प्रमुखता से विचार किया जाना चाहिए।
- ♦ इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे बच्चे पर अत्याचार हो।
- ♦ एक बार सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, जिसमें बच्चे की चिकित्सीय जांच (संलग्नक 2 में प्रारूप शामिल) भी शामिल हो तो किसी परिस्थिति में बच्चे को थाने पर वहीं रखा जाना चाहिए। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उन्हें उपयुक्त संस्थान में बिना देरी किए भेज दिया जाना चाहिए।
- ♦ प्रत्येक बच्चे को सुने जाने और अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनसे जुड़े किसी भी कार्रवाई जैसे हिरासत या रिहाई, पुनर्वास और पुनः घर वापसी आदि के बारे में उनकी राय भी ली जानी चाहिए।
- ♦ उपयुक्त सहायता जैसे चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या अनुवादक (जब बच्चा दूसरी भाषा बोलता हो या पुलिस अधिकारी की भाषा न समझ पा रहा हो) सहायता, कानूनी सहायता या अन्य कोई सहायता जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के लिए आवश्यक हो, वह तुरन्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ♦ विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए, उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि विशेष शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकें ताकि वे पर्याप्त तथा सही तरह से संचार कर सकें और आवश्यक देखरेख पा सकें। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के साथ कार्य करते समय जहां तक हो सके ड्रेस में न हों, सादे लिबास में हों। यह एक तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि बच्चे पुलिस से न डरें, बल्कि उन पर विश्वास करें। पुलिस को बच्चों के लिए भय का एक स्रोत नहीं बनना चाहिए।
- ♦ बच्चा अगर लड़की हो तो यह सुनिश्चित करें कि एक महिला पुलिस अधिकारी, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता या कोई वयस्क जिस पर बच्ची विश्वास करती है, के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। एक बालिका को महिला बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्दगी में रखा जा सकता है।
- ♦ प्रत्येक कार्य में बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि है।


अपने पुलिस स्टेशन को बाल मित्रवत् बनाने के २१ सूचक

झारखण्ड पुलिस (CID) की एक पहल – यूनिसेफ झारखण्ड के साथ एक साझा प्रयास

रूपरेखा (किशोर न्याय

अधिनियम, सेक्शन 63 (2) (3)

1. पुलिस स्टेशन पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में एक पुलिस अधिकारी पदस्थापित हैं [(रूल 84 (3))।
2. बच्चों से बातचीत करने के लिए एक अलग जगह/कमरा [रूल 11 (13)]।
3. बच्चों के बैठने, शौचालय तथा सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था [रूल 11 (13)]।
4. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/अन्य प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी को अलग स्थान या कक्ष, जो बच्चों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए पुलिस स्टेशन में निर्धारित किया गया है, में उपस्थित रहना चाहिए।
5. पुलिस स्टेशनों में बच्चों से संबंधित नियमों के जानकारी देने वाले पोस्टर दर्शाए गए हैं।
6. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम पुलिस स्टेशन में प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए [रूल 11 (14)]।



कार्य पद्धति (किशोर न्याय अधिनियम, सेक्शन 63 (1)

7. पुलिस स्टेशन में, बच्चों से संबंधित मामले दर्ज करने तथा बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध की शिकायत दर्ज करने और की गई कार्रवाई का विवरण दर्ज करने के लिए अलग रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है (विशेष किशोर पुलिस इकाई नोटिफिकेशन 2012)।
8. गुम हुए बच्चों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाती है।
9. बच्चों पर हुए अपराध, जिसमें गुम हुए बच्चे भी शामिल हैं, के प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बच्चे के माता-पिता/कानूनी अभिभावक/शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जाती है (CrPC सेक्शन 50 (1))।
10. पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए निर्धारित कार्य पद्धति की सही जानकारी है।
11. पुलिस स्टेशन के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को, बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष अधिनियमों के तहत प्रावधानों की सही जानकारी है और वह इन्हें बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए इस्तेमाल करते हैं।

रवैया (Attitude) [किशोर न्याय अधिनियम, सेक्शन 63 (2)]

12. पुलिस स्टेशन के अधिकारी इस बात में विश्वास रखते हैं कि बच्चों के खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार व शोषण स्वीकार्य नहीं है।
13. पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि अपराध के शिकार चाहे वह एक बच्चा हो या महिला, थाने पर शिकायत दर्ज कराने आना उनका अंतिम विकल्प है (इसलिए पुलिस की अधिक संवेदनशीलता तथा त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि अपराध की शिकार महिला या बच्चे को राहत और संरक्षण प्राप्त हो)।
14. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ कार्रवाई करते समय 'क्या' (अपराध की प्रकृति/ गम्भीरता) के स्थान पर 'क्यों' पर जोर दिया जाना चाहिए (किन स्थितियों में और क्यों बच्चे ने अपराध किया)।

संसाधन [किशोर न्याय अधिनियम, सेक्शन 63 (3)]

15. पुलिस अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बाल संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तथा प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी को पुलिस स्टेशन के दूसरे अधिकारियों से साझा करते/करती हैं।
16. बच्चों और महिलाओं को हिंसा तथा शोषण से संरक्षण देने के लिए विभिन्न विशेष अधिनियमों से संबंधित संसाधन सामग्री पुलिस थाने में उपलब्ध है एवं उसका प्रयोग किया जाता है।

समुदाय के साथ जुड़ाव [किशोर न्याय अधिनियम, सेक्शन 84 (7)]

17. बच्चों से संबंधित मामलों में, पुलिस स्टेशन द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
18. किशोर न्याय अधिनियम के तहत आच्छादित बच्चों की फोटो या पहचान को प्रकाशित करने की अनुमति मीडिया को नहीं दी जाती (किशोर न्याय अधिनियम, सेक्शन-21)।



समन्वय और तालमेल [किशोर न्याय रूल्स-85 (5)]

19. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, अन्य थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारी, गृहों के अधीक्षकों, जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण के साथ समन्वय बनाकर रखते हैं।
20. पुलिस स्टेशन में चाइल्ड लाइन, गैर-सरकारी संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्ड, पारा लीगल वॉलंटियर्स, अस्पताल तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की सूची तथा संपर्क नम्बर दर्शाया गया है।
21. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, समन्वय बैठकों में भाग लेते हैं या आयोजित करते हैं और आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हैं।





चरण 7: बाल मित्रवत् पुलिस स्टेशन प्रमाणित करने के चरण

- ♦ स्वयं – बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या थाना प्रभारी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत में, पुलिस स्टेशन में फ्लेक्स पर आंकलन।
- ♦ स्वयं – सूचना दर्ज करने (रजिस्ट्रारों) और सूचकों की प्रगति का प्रत्येक माह आंकलन करना।
- ♦ पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक समीक्षा।
- ♦ राज्य स्तर पर महानिरीक्षक अपराध जांच विभाग द्वारा त्रैमासिक समीक्षा।
- ♦ यूनिसेफ द्वारा 21 सूचकों को प्राप्त करने के लिए थाना प्रभारी तथा बाल कल्याण अधिकारी को कार्य के दौरान मदद एवं प्रशिक्षण व सहयोग देना।
- ♦ नियमित अनुश्रवण, प्रगति की रिपोर्ट और 21 सूचकों की पूर्ति का जिले स्तर पर सत्यापन –JCWO (विशेष किशोर पुलिस इकाई का नोडल अधिकारी जो इन्सपेक्टर रैंक का होगा)।
- ♦ जिन थानों ने 21 सूचकों को पा लिया है उनके नाम पुलिस अधीक्षक, आई.जी. (सी.आई.डी.) के पास अग्रेषित करेंगे।
- ♦ पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) झारखण्ड द्वारा प्रमाणित करना।
- ♦ अगर पुलिस स्टेशन 1 वर्ष तक सूचकों को बनाए रखता है तो पुलिस महानिदेशक द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

विशेष किशोर पुलिस इकाई के पदाधिकारियों के विशिष्ट कार्य



समय
45 मिनट

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

- ♦ बाल कल्याण अधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई का नोडल अधिकारी है और पुलिस स्टेशन में बच्चों से संबंधित हर मामले में कार्रवाई करता है।
- ♦ बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड का आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर बच्चे के निवास तक उसके अनुरक्षण के लिए उसके साथ जाता है।
- ♦ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विशेषतः अपराध का शिकार हुए बच्चे या अपराध करने वाले बच्चों के मामले, पुलिस, सैविक और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर देखते हैं।

किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न सेक्शनों के तहत, बच्चों के विरुद्ध अपराधों में पुलिस की भूमिका और कार्य पद्धति

- ♦ **किशोर न्याय अधिनियम का सेक्शन 76:** जो कोई भी बच्चे को भीख मांगने के कार्य में लगाता है या बच्चे के भीख मांगने का कारण बनता है उसे कारावास की सजा होगी जो पांच वर्ष तक की हो सकती है और पूरे एक लाख रूपए जुर्माने के रूप में अदा भी करने पड़ेंगे।
- ♦ **अधिनियम का सेक्शन 77:** जब कोई बच्चा मादक पदार्थों जैसे नशीली शराब या नशीली दवाईयां या साइकोट्रॉपिक पदार्थों या तम्बाकू के प्रभाव में है या उसके पास से यह पदार्थ मिलते हैं जिसमें बेचने के लिए भी शामिल है, तब पुलिस को यह छानबीन करनी होगी कि बच्चा इन मादक पदार्थों के प्रभाव में कैसे आया या बच्चे के पास यह मादक पदार्थ कहां से आया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।
- ♦ **अधिनियम का सेक्शन 78:** जब एक बच्चा नशीली शराब, या नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक पदार्थ बेचते हुए, ले जाते हुए, आपूर्ति करते हुए या तस्करी करते हुए पाया जाता है तो पुलिस को यह छानबीन करनी चाहिए कि बच्चे के पास यह मादक तथा नशीले पदार्थ कहां से आए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।
- ♦ **अधिनियम का सेक्शन 80:** जब कोई अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए बच्चे को, अधिनियम तथा रूल्स में निर्धारित कार्य पद्धति का पालन किए बिना, गोद लेने के लिए किसी को दिया या किसी के द्वारा लिया जाता है तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना या उस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।
- ♦ **अधिनियम का सेक्शन 81:** किसी बच्चे के बेचने या खरीदने की सूचना मिलने पर पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए।





चरण 1: सी.सी.एल. के आशंका के मामले में एस.जे.पी.यू./सी.डब्ल्यू.पी.ओ. के कर्तव्य

- एक कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कानूनन उसका दोष सिद्ध न हो जाए इसलिए दोष स्वीकारने के लिए उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
- किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस हिरासत में लेकर सूर्यास्त से सूर्योदय तक पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता है। विकल्प न होने पर बच्चा पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है, किन्तु लॉकअप में या किसी वयस्क आरोपी के साथ नहीं रखा जा सकता। बच्चे को अगर पुलिस थाने में रखा जाता है तो वह बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता या माता-पिता की देखरेख और उपस्थिति में रखा जाएगा।
- जितने समय तक बच्चा पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहता है उसे लॉकअप या बन्दीगृह या किसी वयस्क आरोपी के साथ नहीं रखा जा सकता।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को सुने जाने और अपने विचारों या अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे से पूछताछ का विवरण "कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का कथन" के रूप में दर्ज किया जाएगा जैसा कि संलग्नक 3 में है और अगर इससे यह प्रकट होता है कि बच्चे के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है या गलत रवैया अपनाया जिससे अपराध करने का दबाव बना तब ऐसे कृत्य के लिए दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी जानी चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खुलासे के बयान को रिकॉर्ड करना और बच्चे का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना वर्जित है जैसा कि वयस्कों के मामले में है।
- हिरासत में लिए गए बच्चों की उम्र पर विचार करते हुए उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को पानी, खाना, शौचालय की सुविधा, फोन की सुविधा प्राप्त हो और अगर जरूरत हो आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध हो।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की निजता और गोपनीयता को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के बारे में ऐसी जानकारी जो इसकी पहचान बताए, वह प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए और/या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का रिकॉर्ड गोपनीय रखना चाहिए और अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति या एजेंसी की पहुंच में नहीं होना चाहिए।




- ◆ यह संबंधित पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि बच्चे को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के रूप में प्रचारित होने या लाक्षण लगने से बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे।
- ◆ यह बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का दायित्व होना चाहिए कि वह सुनिश्चित करें किसी भी अपराध के आरोपी जो बच्चा जैसा दिखता है या बच्चा होने का दावा करता है उसके साथ वयस्कों की तरह बर्ताव न किया जाए और अगर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को ऐसा महसूस होता है तो तुरंत पुलिस थाना प्रभारी को रिपोर्ट करें तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी सूचित करें।
- ◆ अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी से संपर्क करके यह आरोप लगाता है कि कोई व्यक्ति जो एक बच्चा है, के साथ उस पुलिस स्टेशन के किसी पुलिस अधिकारी ने वयस्कों जैसा बर्ताव किया है, या गलत तरीके से व्यवहार किया है तो यह उस पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी शिकायतकर्ता का बयान तुरंत दैनिक डायरी में दर्ज करें और मामले को संबंधित जांच अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या ऐसे थाने के थाना प्रभारी के समक्ष मामले को ले जाएं तथा मामले को जाने और सुधारात्मक कदम उठाएं। ऐसी शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर, ऐसी शिकायत की रिपोर्ट, डेली डायरी के इन्द्राज की प्रति, उठाए गए कदमों का विवरण या प्रस्तावित कदमों का विवरण, विशेष किशोर पुलिस इकाई को अग्रेषित की जानी चाहिए।
- ◆ यह बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार न हो और अगर ऐसी कोई घटना उनके संज्ञान में आती है तो तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को रिपोर्ट करें और संबंधित विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी सूचित करें।
- ◆ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को यूनिफार्म में नहीं, बल्कि सादे कपड़े में रहना चाहिए।
- ◆ बाल कल्याण अधिकारी को प्रत्येक बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और हिरासत में लेने की परिस्थितियां तथा अपराध में बच्चे के शामिल होने के आरोप को फॉर्म 1 में दर्ज करके बोर्ड को भेजें। सही सूचना एकत्रित करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बच्चे के माता-पिता से संपर्क करना चाहिए।




सामाजिक कार्यकर्ता

निम्नलिखित कार्यों में सामाजिक कार्यकर्ता को विशेष किशोर पुलिस इकाई को सहयोग देना चाहिए:

- ◆ बच्चे को हिरासत में लेना – विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाई समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को हिरासत में लेते समय सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
- ◆ एक लड़की को हिरासत में लेने के समय महिला सामाजिक कार्यकर्ता को उपस्थित रहना चाहिए।



चित्र: विशेष किशोर पुलिस इकाई की संबंधता



चरण 2: पुलिस क्या नहीं कर सकती

जबकि सिद्धांतों, उद्देश्यों और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की विषय-वस्तु में बच्चों के अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, फिर भी CrPC में बच्चों के ऐसे अधिकार चिन्हित हैं जो पुलिस से जुड़े हैं। ये हैं:

क्रीमिनल प्रोसीज़र कोड के सेक्शन 160 में 15 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और किसी भी उम्र की महिला को छानबीन या पूछताछ के लिए रोकना निषिद्ध है।

मनमानी रोक गैर कानूनी है, क्रीमिनल प्रोसीज़र का कोड के सेक्शन 50, 56 और 57 ने इस बात को अनिवार्य किया है कि हिरासत में लिए जाने के कारण जाने बिना किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में रोका नहीं जा सकता तथा यह कि जिसे रोका गया है उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्रीमिनल प्रोसीज़र कोड के सेक्शन 167 के तहत पुलिस कस्टडी में रोकने के लिए कोड आवेदन नहीं होगा।

क्रीमिनल प्रोसीज़र कोड के सेक्शन 161 के तहत बच्चे से अपराध स्वीकारोक्ति, किसी बयान वाले कागज पर पुलिस के सामने हस्ताक्षर कराकर नहीं लिया जा सकता है और यह बच्चे के खिलाफ सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।



चरण 3: सत्र का समापन



जो आप अंदर डालेंगे वही बाहर आएगा

लक्ष्य:

- ♦ यह समझना कि बच्चों का व्यवहार वैसा ही रूप लेता है जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है और जो वे अपने परिवार, समुदाय तथा समाज से सीखते हैं।
- ♦ यह जानने के लिए कि बच्चों में समाज को सकारात्मक योगदान देने की बहुत क्षमता है, बशर्ते कि उन्हें सकारात्मक प्रभाव और मार्गदर्शन मिले।



आवश्यक सामग्री:

पानी का बर्तन और एक बड़ा स्पंज



प्रक्रिया:

1. कक्ष में टेबल पर पानी से भरा बर्तन रखें और एक बड़ा स्पंज अपने पास रखें। प्रतिभागियों से पूछें कि अगर स्पंज को पानी के बर्तन में डाला जाएगा तो क्या होगा?
2. अब प्रतिभागियों से पूछें कि तब क्या होगा जब स्पंज को बीयर और एक खून से भरे बर्तन में रखा जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य भाग, प्रतिभागियों द्वारा यह समझना है कि स्पंज पूरी तरह से पानी, बीयर या खून सोख लेगा।
3. चर्चा करें कि अगर स्पंज को जब निचोड़ा जाएगा तब पानी, बीयर या खून (या जो कुछ भी स्पंज ने सोखा है) बाहर आएगा।
4. स्पंज (जो अभी भी सूखा है) को हाथ में लें और इस तरह पकड़ें कि प्रतिभागी उन्हें देख सकें और कहें कि:
 - ♦ यह स्पंज एक बच्चे का प्रतीक है। जब एक बच्चा जन्म लेता है वह एक स्वच्छ सूखे स्पंज की तरह होता है और अपने आस-पास के वयस्कों से अपनी हर जरूरत जैसे कि भोजन, प्यार, दुलार और शिक्षा आदि पूरी करता है ताकि विकास कर सके। इसके लिए बच्चे से जुड़े जितने लोग हैं सबका किसी न किसी रूप में योगदान होता है (स्पंज को पानी में डालें, उसे बाहर निकालें और प्रतिभागियों के सामने निचोड़ें)।
 - ♦ इसका अर्थ है कि अगर हम बच्चे को पौष्टिक आहार, साफ पानी, प्यार, संरक्षण, दुलार और अच्छी शिक्षा तथा मार्गदर्शन देते हैं तो बच्चा एक स्वच्छ, मजबूत और प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में विकसित होगा।
 - ♦ अगर हम बच्चे को बीयर से भरते हैं (जो यह इंगित करता है कि नशाखोरी और खराब पारिवारिक स्थिति) तो बीयर (बुरी आदतें और आक्रामकता) ही बाहर आएगी (स्पंज को पानी में भिगोएं और निचोड़कर प्रदर्शित करें), और अगर हम बच्चे को खून से भरते हैं (जो हिंसा, गुस्सा, दुर्व्यवहार, लड़ाई और मृत्यु को दर्शाता है) तब खून (घृणा, हिंसा और मृत्यु) ही बाहर आएगा (दर्शाने के लिए स्पंज को भिगोएं और निचोड़ें)।
 - ♦ यह अभ्यास दिखाता है कि बच्चे अपने विकास के लिए वयस्कों तथा आस-पास के बाहरी वातावरण पर निर्भर हैं। जिस तरह से लोग उनके साथ बर्ताव करते हैं, जहां वे रहते हैं वहां के आस-पास का वातावरण उनके व्यवहार को विशेष रूप से निर्धारित करेगा। पुलिस अधिकारियों का बच्चों से सामना होने पर हमेशा यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। पुलिस का यह दायित्व है कि बच्चों को हिंसा और नुकसान (बीयर और खून) से सुरक्षा दें और उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर न गवाएं (ताजा तथा स्वस्थ रखने वाला पानी)।
 - ♦ आप इसे एक अच्छे रोल मॉडल बनकर प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों को उनके कठिन समय में अवसर देकर, ताकि वे उपलब्ध विकल्पों से लाभान्वित हो सकें, उनकी कठिन परिस्थितियों को बेहतर करें और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामले में उनकी गलतियों से सीखें और उनके कृत्यों की जिम्मेदारी लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(वैकल्पिक) समय की उपलब्धता के अनुसार सुगमकर्ता निम्न प्रश्नों की चर्चा प्रतिभागियों से कर सकते हैं:

1 क्या उन सभी केसों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए जिसमें बच्चे शामिल हैं?

नहीं, बच्चों से संबंधित मामले में, पुलिस तभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है जब बच्चे पर आरोपित अपराध की सजा 7 वर्ष या इससे अधिक समय तक के कारावास की हो।

2 बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कौन प्रस्तुत करेगा और कब प्रस्तुत करेगा?

एक पदस्थापित पुलिस अधिकारी, जिसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कहा जाता है, द्वारा बच्चे को हिरासत में लेने के 24 घंटे के अन्दर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समयावधि में वह समय शामिल नहीं है जो बोर्ड तक पहुंचने की यात्रा में लगा है।

3 क्या पुलिस को सभी बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए?

जहां बच्चा हिरासत में लिया है उन सभी मामलों में बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4 ऐसी कौन-सी विशिष्ट परिस्थितियां हैं जहां पुलिस बच्चे को हिरासत में ले सकती है या नहीं ले सकती है?

- ऐसे गंभीर आरोपों में जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा है तो बच्चे को अवश्य हिरासत में लेना चाहिए।
- ऐसे मामले में जहां सजा 7 वर्ष से कम है किन्तु यह लगता है कि बच्चे को हिरासत में लेना उसके हित में है और/या बच्चा दोनों श्रेणियों (देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद एवं कानून का उल्लंघन करने वाला) में है तो बच्चा हिरासत में लिया जा सकता है।
- छोटे-मोटे अपराध के मामले में केस का अंतिम फैसला थाने से ही किया जा सकता है – सलाह या चेतावनी देकर। ऐसे मामले में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चों में जिनके माता-पिता या अभिभावक नहीं हैं या माता-पिता या अभिभावक बच्चे की देखभाल करने योग्य नहीं हैं तो बच्चा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा की श्रेणी में रखा जा सकता है।

निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों के उदाहरण हैं कि ऐसे मामले में पुलिस को क्या करना चाहिए:

- जहां बच्चे के माता-पिता या अभिभावक उपलब्ध हैं तो पुलिस को बच्चा माता-पिता को सुपुर्द कर देना चाहिए और उनसे यह स्वीकारोक्ति ले लेनी चाहिए कि बाद में जब बोर्ड चाहेगा वे बच्चे को लेकर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होंगे। संबंधित पुलिस अधिकारी को माता-पिता या अभिभावक को उस तिथि की सूचना देनी पड़ेगी जिस दिन बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बुलाया गया है (अधिनियम का सेक्शन 12)।
- कुछ मामलों में, जैसे छोटे-छोटे अपराधों के मामले में, जहां बच्चा पहली बार कानून के उल्लंघन का आरोपित है तो पुलिस उसे सलाह देकर ही छोड़ सकती है और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। मामले का अंतिम फैसला पुलिस स्टेशन पर ही किया जा सकता है।

- ♦ अगर उम्र निश्चित न हो और जो व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए आरोपित है जिसकी सजा 7 वर्ष से कम हो, वह व्यक्ति देखने में बच्चा दिखता हो किन्तु उम्र की अंतिम सीमा पर या वयस्क भी हो सकता उसके साथ पुलिस बच्चों जैसा ही व्यवहार करेगी।
- ♦ जब बच्चे का अभिभावक होने का हक कोई नहीं जताता है तो उसे 24 घंटे में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। बच्चे की कस्टडी के लिए पुलिस को बोर्ड से उपयुक्त आदेश लेना होगा।

5 पुलिस को क्या करना चाहिए जब एक बच्चा ऐसे अपराध के लिए हिरासत में लिया गया है जिसकी सजा 7 वर्ष के कारावास से कम है?

ऐसे केस में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस को केवल डेली डायरी में दर्ज करना चाहिए।

डेली डायरी में दर्ज करने के बाद पुलिस को बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें आरोपित अपराध के होने की परिस्थितियों का उल्लेख हो, एक रिपोर्ट उन चोरी किए गए समानों की बरामदगी जो पुलिस ने की हो और इसके साथ-साथ उम्र प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित अभिलेख भी होने चाहिए।

डेली डायरी में दर्ज सूचना, किशोर न्याय बोर्ड को जल्दी से जल्दी, वस्तुतः 24 घंटे के अन्दर भेज दी जानी चाहिए। सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और आरोपित अपराध के होने की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ-साथ हिरासत में लेने (अगर किया गया हो तो) की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष पहली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करनी होगी।

6 सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट क्या है?

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो एक पदस्थापित पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है और यह हिरासत में लिए बच्चे तथा उसके परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर होती है।

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट पुलिस द्वारा सभी बच्चों की तैयारी की जानी चाहिए, चाहे बच्चे द्वारा किए जाने वाले आरोपित अपराध की सजा 7 वर्ष से कम हो या अधिक हो।

इसमें निम्न जानकारियां शामिल होनी चाहिए:

- ♦ परिवार में सदस्यों की संख्या
- ♦ व्यवसाय
- ♦ मासिक आय
- ♦ साक्षरता स्तर
- ♦ बच्चे के शिक्षा की स्थिति
- ♦ कोई भी जानकारी जो बच्चे की दैनिक गतिविधियों में शामिल हो और बच्चे या उसके परिवार से ली गई हो। सूची बृहत् बड़ी नहीं है किन्तु सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करते समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी।

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करते समय क्या करें और क्या न करें

बच्चे के घर या परिवार या पड़ोस में भ्रमण या भेंट के समय पुलिस को यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए।

जहां तक संभव हो सके सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट से संबंधित जानकारी बच्चे या उसके परिवार के सदस्यों से ही एकत्रित की जानी चाहिए।

पड़ोसियों से बात करते समय इस बात का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चे पर किस अपराध में शामिल होने का आरोप है।

नोट:

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट जो पुलिस तैयार करेगी वह सामाजिक जांच रिपोर्ट के समान नहीं है जो परिवीक्षा अधिकारी तैयार करेंगे (सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट का प्रारूप संलग्नक III में है।)

7 किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बच्चे को कहाँ रखा जाएगा?

हिरासत में लिया गया बच्चा पुलिस के लॉकअप या जेल में नहीं रखा जा सकता।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक पुलिस को बच्चों को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्दगी में दे देना चाहिए।

चिकित्सीय जांच होने के बाद जहां तक संभव हो बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहिए।

जितना भी समय बच्चा पुलिस स्टेशन में बिताता है, वह उसके माता-पिता या अभिभावक या विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में रहना चाहिए। लड़की होने के मामले में, एक महिला पुलिस अधिकारी का होना अनिवार्य है।

अगर लिखित आदेश पाना संभव नहीं है, तब पुलिस को बोर्ड के सदस्य से, बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक के लिए अवलोकन गृह में रखने के लिए मौखिक आदेश लिया जाना चाहिए।

8 पुलिस, बच्चे के पास से चोरी किए गए सामान की बरामदगी कैसे दिखाएंगी?

किशोर न्याय मॉडल रूल्स इस मामले में कुछ नहीं कहता कि जब बच्चे के पास से चोरी हुआ सामान बरामद हो तो क्या कार्य पद्धति अपनाई जानी चाहिए। यद्यपि घटना के बारे में बच्चे का बयान लिया जाना चाहिए और छानबीन करनी चाहिए तथा चोरी की सामग्री बरामद की जानी चाहिए। बरामदगी के तथ्यों को दर्ज करने के लिए क्रीमिनल प्रोसीजर कोड का पालन किया जाना चाहिए। यद्यपि बच्चे के हस्ताक्षर नहीं लिए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो बरामदगी को, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और बच्चे के माता-पिता या अभिभावक या विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य जो पंजीकृत गैर सरकारी संस्था का भी सदस्य हो, की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। बाल कल्याण अधिकारी के साथ-साथ बच्चे के माता-पिता से बरामदगी के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। इससे प्रक्रिया में तीसरे गैर-पुलिस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। चोरी की बरामदगी के अन्य मामलों की कार्य पद्धति की ही तरह बच्चे से बरामद सामान को मालखाना में रखा जाएगा।

9

जिस व्यक्ति पर अपराध करने का दोषारोपण है उस व्यक्ति की उम्र कौन निर्धारित करेगा और किस आधार पर उम्र निर्धारित होगी?

इस संबंध में कानून एकदम स्पष्ट है। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति की उम्र बोर्ड निर्धारित करेगा।

अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए दोषारोपित है और देखने में 18 वर्ष से कम उम्र का है तब पुलिस को ऐसे व्यक्ति को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए तथा ऐसे व्यक्ति की उम्र बोर्ड को निर्धारित करने देनी चाहिए।

अपराध करने वाले व्यक्ति की उम्र, अपराध करने की तिथि से निर्धारित करनी चाहिए, न कि उस दिन से जब वह व्यक्ति किसी समक्ष प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। (प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, जे.टी. 2005 (2) एस.सी.271)।

जब कोई व्यक्ति बच्चे जैसा दिखता है वह बोर्ड के समक्ष लाया गया है, तो बोर्ड के लिए यह अनिवार्य है कि वह जांच करें और व्यक्ति की उम्र निर्धारित करें। बोर्ड को उम्र निर्धारित करने की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करनी चाहिए ताकि किशोर न्याय अधिनियम के लाभों से बच्चे को वंचित न रखा जाए।

10

उम्र निर्धारण के लिए बोर्ड को किन साक्ष्यों को आधार बनाना चाहिए?

इस बात को निर्धारित करने के लिए कि क्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, बोर्ड निम्न साक्ष्यों को आधार बनाएगा:

- ◆ व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र
- ◆ स्कूल में प्रवेश लेते समय स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई जानकारी
- ◆ हाई स्कूल का अंक पत्र
- ◆ बोर्ड चिकित्सा विशेषज्ञों से आरोपी की उम्र के बारे में राय लें
- ◆ अस्थि जांच (In X-ray bone-ossification test)

यद्यपि साक्ष्यों की जांच करते समय, जैसे स्कूल के रजिस्टर में प्रवेश के समय दर्ज जानकारी के संबंध में, बोर्ड यह देखेगा कि क्या रजिस्टर के रख-रखाव में अनियमितताएं हैं और यह भी जांच करेगा कि स्रोत कितना विश्वसनीय है।

उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए चिकित्सा न्याय शास्त्र पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश जैसे विस्तृत देश में जहां विभिन्न अक्षांश, ऊंचाई, वातावरण, वनस्पति और पोषण है, वहां हर जगह लोगों की लम्बाई और वजन में समानता नहीं हो सकती। [राम देव चौहान बनाम स्टेट ऑफ असम, ए.आई.आर. 2001 एस. सी. 2331]

11 अगर आरोपी व्यक्ति की सटीक उम्र निर्धारित नहीं की जा सकी तो क्या होगा?

जहां पर अंतर बहुत कम हो और यह बताना कठिन हो कि आरोपी बच्चा है या वयस्क है, ऐसी स्थिति में बोर्ड के पास यह अधिकार है कि शक का लाभ देते हुए उस व्यक्ति को बच्चा घोषित कर दें।

अरनित दास बनाम स्टेट ऑफ बिहार [2000 (5)] एस.एस.सी. 488: ए.आई.आर. 2000 एस.एस. 2264 – इस केस में कई कागजात जैसे स्कूल और जन्म प्रमाण पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए तब भी बच्चे की सटीक उम्र निर्धारित करना कठिन था। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे केसों में जो बच्चा और वयस्क होने के सीमा पर है अगर दो निष्कर्ष सामने आते हैं तो आरोपी को शक का लाभ दिया जाना चाहिए।

12 अगर किसी बच्चे को, जो अपराध करने का आरोपी है, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो किशोर न्याय बोर्ड का प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट नहीं है तो क्या होगा? (किशोर न्याय अधिनियम 2015 का सेक्शन 9 देखें)

अगर किसी बच्चे को जो अपराध करने का आरोपी है, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों को इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है तो उस मजिस्ट्रेट को:

- ♦ अपनी राय दर्ज करनी चाहिए कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है और इस कार्रवाई के रिकॉर्ड के साथ तुरंत बच्चे को उस क्षेत्र के किशोर न्याय बोर्ड में भेज देना चाहिए। इसके बाद बोर्ड अपनी जांच की कार्रवाई इस प्रकार आगे बढ़ाएगा जैसे कि बच्चा मूल रूप से उसी के समक्ष लाया गया है।
- ♦ अगर ऐसे मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति की उम्र के बारे में कोई शंका है तो शक का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा।
- ♦ ऐसी स्थिति में जब बोर्ड नहीं बैठ रहा है, तब बच्चे को बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

जमानत एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं

कानून का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक बच्चा जमानत पर रिहा होने का हकदार है, यह देखे बिना कि आरोपित अपराध जमानती है या गैर-जमानती है।

आरोपित अपराध की प्रकृति से जमानत पर रिहाई निर्भर नहीं होनी चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति जो एक बच्चा दिखता है उसे जमानत पर अवश्य रिहा करना चाहिए, भले ही आरोपित अपराध गैर-जमानती हो। यह सामान्य आपराधिक कार्य पद्धति से हटकर है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम उम्र के बच्चे अपराधी को वयस्क अपराधियों के साथ न रखा जाए जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, दुर्यवहार का शिकार न हो अथवा बच्चे को जुर्म कबूल करने के लिए बाधित करें।

उनकी कम उम्र को ध्यान में रखते हुए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सामान्य नियम के रूप में जमानत पर रिहा कर दिए जाते हैं। अगर उम्र के बारे में जांच अभी पूरी नहीं हुई है, किन्तु वह व्यक्ति देखने में बच्चा है तो उसे जमानत पर अवश्य रिहा कर देना चाहिए।

जमानत सशर्त या बिना शर्त के दी जा सकती है। दुबारा जोर देने के लिए, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जा सकता।

13 बच्चे को जमानत पर कौन रिहा कर सकता है?

जमानती मामलों में बच्चे को जमानत पर पुलिस रिहा कर सकती है, किन्तु जितने भी गैर-जमानती मामले हैं जिसमें बच्चे शामिल हैं, उनमें जमानत देने के लिए किशोर न्याय बोर्ड ही अधिकृत हैं।

14 बोर्ड कब जमानत देने से इंकार करेगा?

जमानत देने से केवल तभी मना किया जा सकता है जब यह विश्वास करने का पुख्ता कारण है कि जमानत पर रिहा करने के बाद:

- ♦ जाने-माने अपराधी से जुड़ जाएगा; या
- ♦ बच्चे को नैतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक खतरा है; या
- ♦ सही न्याय नहीं हो पाएगा।

जमानत न दिए जाने के संक्षिप्त कारणों को जानने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है, इसलिए जमानत से इंकार करने के आदेश में जमानत न देने के कारणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। अगर बच्चे को खतरा है तो आदेश में केवल यही नहीं लिखा जाना चाहिए बल्कि यह भी लिखा जाना चाहिए कि क्यों खतरा है, किसके द्वारा है और इसका क्या कारण है तथा इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। यह एक ईमानदार सुनवाई और न्याय का मूल सिद्धान्त है।

पुलिस द्वारा तैयार सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (SBR) इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोर्ड, पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्य अभिलेखों के साथ-साथ इस रिपोर्ट पर तथा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जमानत देने से इंकार कर सकता है।

15 जब बच्चा जमानत पर रिहा नहीं किया गया तब उसे कहाँ रखा जाना चाहिए?

विशेष परिस्थितियों के कारण जिस बच्चे की जमानत मंजूर नहीं की गई, उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां वे सुरक्षित हों।

कोई भी स्थान या संस्थान, जहां का प्रभारी ऐसे बच्चे को प्राप्त करके उसकी निर्धारित समय तक देखरेख करने का इच्छुक हो, उसे सुरक्षा का स्थान माना जा सकता है। यह एक गैर-सरकारी संस्था या परोपकारी संस्था द्वारा बच्चों के लिए चलाया जाने वाला बाल गृह हो सकता है।

अधिनियम के अनुसार पुलिस लॉकअप या जेल सुरक्षा का स्थान नहीं है।

इसलिए अगर कोई बच्चा, बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया गया तब केस की सुनवाई पूरी होने तक उसे केवल अवलोकन गृह या सुरक्षा के स्थान पर रखा जा सकता है, जेल में नहीं।

16 अवलोकन गृह (Observation Home) क्या है?

किशोर न्याय अधिनियम में राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में अवलोकन गृह स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इन अवलोकन गृहों में वे बच्चे अस्थायी रूप से रखे गए हैं जिनके, किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामले जांच/सुनवाई की प्रक्रिया में चल रहे हैं।

जिस बच्चे को रहने के लिए अवलोकन गृह में भेजा गया है उसे शुरू में ऐसे गृहों के स्वागत इकाई में रखा जाना चाहिए। एक बार जब बच्चे की उम्र, शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा आरोप लगाए गए अपराध की प्रकृति आदि की जांच हो जाए तब बच्चे को अवलोकन गृह में दाखिल किया जा सकता है।

17

क्या पुलिस केसों में चार्ज शीट दाखिल कर सकती है जिसमें बच्चे शामिल हों?

विश्व भर में बाल न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार जिन मामलों में बच्चे शामिल हो उसमें 'चार्ज शीट' जैसे शब्दों का, पुलिस या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

'चार्ज' का मतलब दोषारोपण है। आपराधिक प्रक्रियाओं में 'चार्ज' एक महत्वपूर्ण कदम है जो जांच को सुनवाई से अलग करती है। हालांकि किशोर न्याय के मामलों में बच्चे के खिलाफ कोई 'चार्ज' नहीं होना चाहिए क्योंकि कार्रवाई किसी अपराधी के विरुद्ध नहीं है बल्कि एक बच्चे के विरुद्ध है जो कानून के उल्लंघन का आरोपी है और इसलिए यह एक आपराधिक कार्रवाई नहीं है। कोई ट्रायल नहीं है। सभी तरह की जांच चार माह के अंदर पूरी कर लेनी है।

हालांकि पुलिस अंतिम रिपोर्ट फाईल कर सकती है (यह वही पुलिस की जांच रिपोर्ट है जो वयस्कों के केस में शामिल होने पर, इसके पूरा होने के बाद उन पर चार्ज लगाए जाते हैं)। आदर्श रूप से पुलिस जांच रिपोर्ट का इस्तेमाल अधिनियम में भी किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश किशोर न्याय अधिनियम हर बार बहुत जल्दबाजी में संशोधित होता है, इसीलिए शब्दावली में बदलाव के सिद्धान्त पर जोर देने के बावजूद क्रिमीनल प्रोसीजर कोड में इस्तेमाल होने वाले अनेक शब्द बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं।

नोट:

- हर अलग अपराध के लिए अलग 'चार्ज' लगाया जाएगा।
- किसी केस में जिसमें बच्चा और वयस्क दोनों अपराधी हैं तो चार्ज तथा संबंधित कार्रवाई अलग होगी एवं बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड में भेजना पड़ेगा। ऐसे केसों में संयुक्त चार्ज और संयुक्त कार्रवाई नहीं चलायी जा सकती (सेक्शन 18)।

18

पुलिस को अपनी अंतिम रिपोर्ट, पुलिस जांच रिपोर्ट कब तक जमा कर देनी चाहिए?

पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट 60 दिनों के अन्दर उन मामलों के लिए तैयार कर लेनी चाहिए जिन अपराधों की सजा सात वर्ष से कम है और जिन अपराधों की सजा 7 वर्ष या इससे अधिक है उन मामलों से संबंधित पुलिस जांच रिपोर्ट 90 दिनों तक पूरी की जानी चाहिए।

1. छोटे-मोटे अपराधों के मामलों में, पुलिस जांच रिपोर्ट तैयार करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि बच्चा हिरासत में लिया ही नहीं गया।
2. सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में (जो गंभीर नहीं हैं) जब बच्चा हिरासत में नहीं लिया गया है तो ऐसे मामले में पुलिस जांच रिपोर्ट जमा करने की अवधि 90 दिन है, किन्तु जहां बच्चा हिरासत में लिया गया है और रिहा नहीं किया गया है तो पुलिस जांच रिपोर्ट हिरासत में लेने के 60 दिनों के अन्दर जमा कर दी जानी चाहिए। अगर इस समयावधि में रिपोर्ट जमा नहीं की जाती तो केस को बन्द मान लिया जाएगा।
3. गंभीर अपराध के मामलों में, बच्चे को हिरासत में लेने के दिन से 60 दिन की समयावधि है, अगर बच्चे को हिरासत में लेकर रिहा नहीं किया गया और 90 दिन की समयावधि तब है जब बच्चे को हिरासत में लेकर रिहा कर दिया गया है।

19

बच्चे द्वारा अपराध करना साबित हो जाने के बाद बच्चा कहाँ रखा जाएगा?

जिन बच्चों का कानून की प्रक्रिया से अपराध करना सिद्ध हो जाता है उन्हें बोर्ड के आदेश पर 'विशेष गृहों' या 'सुरक्षा के स्थान' में रखा जाता है।

नोट:

विशेष गृहों या सुरक्षा के स्थान में बच्चों को रखने की समयावधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती, भले ही बोर्ड द्वारा छानबीन के बाद सिद्ध अपराधों की सजा कितनी भी हो।

20

विशेष 'गृह' क्या है?

प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में संबंधित राज्य के विभाग द्वारा स्थापित विशेष गृह एक ऐसा स्थान है, जहां सभी शंकाओं को दूर करते हुए जिन बच्चों के अपराध सिद्ध हो जाते हैं उनके रहने और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

एक बच्चा जिसका अपराध, सभी शंकाओं को दूर करते हुए सिद्ध हो जाता है उसे जेल में नहीं भेजा जा सकता, इसीलिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष गृह उपलब्ध कराए गए हैं ताकि ऐसे बच्चों को वहां भेजा जाए और उनका पुनर्वास हो।

विशेष गृह, राज्य सरकार के संबंधित विभाग से इकरारनामा के आधार पर स्वैच्छिक संस्थाएं भी चला सकती हैं।

21

सुरक्षा का स्थान क्या है?

जिन बच्चों का अपराध सभी शंकाओं को दूर करने के बाद सिद्ध हो गया है उन्हें सुरक्षा के स्थान (Place of safety) में रखा जा सकता है।

सुरक्षा का स्थान भी एक सुविधा है जो संबंधित राजकीय विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है और उसका रख-रखाव किया जाता है। बोर्ड की छानबीन और जांच के बाद ऐसे बच्चों को इसमें रखा जाता है और उनका पुनर्वास किया जाता है जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है।

22

बच्चे को सुरक्षा के स्थान में रखने का आदेश बोर्ड कब देगा?

बोर्ड को यह आदेश देने की शक्ति दी गई है कि एक बच्चा जिसने अपराध किया है उसे सुरक्षा के स्थान में रखा जाए (विशेष गृह में नहीं) अगर निम्नलिखित स्थितियां पूरी की जाती हैं:

- ♦ बच्चा कम से कम 16 वर्ष की उम्र का है
- ♦ बच्चे द्वारा किया गया अपराध अत्यन्त गंभीर है, या बच्चे का व्यवहार और आचरण ऐसा है कि उसके हित में या विशेष गृह में रह रहे बच्चों के हित में नहीं होगा, अगर उस बच्चे को उनके साथ रहने के लिए भेजा जाए और
- ♦ अधिनियम द्वारा निर्धारित अन्य कार्यविधियां ऐसे मामले में उपयुक्त या पर्याप्त नहीं हैं:
- ♦ ऐसे मामले में बोर्ड को राज्य सरकार के पास रिपोर्ट देकर आदेश प्राप्त करना चाहिए।

- ♦ ऐसी स्थिति में तब राज्य सरकार बच्चे के लिए जो उपयुक्त समझेगी वैसी व्यवस्था बनाएगी।
- ♦ वह आदेश दे सकती है कि किसी स्थान पर सुरक्षात्मक अभिरक्षा में बच्चे को रखा जाए और उन शर्तों पर जो उसे उपयुक्त लगे।

23 अपराध करने के दोषी पाए गए बच्चों का लेखा-जोखा (Record) पुलिस कैसे रखेगी?

कानून के अनुसार, बोर्ड द्वारा अपराधी सिद्ध हुए सभी बच्चों का रिकॉर्ड हटा दिया जाना चाहिए:

- ♦ अपील की समयावधि समाप्त हो जाने के बाद: या
- ♦ किशोर न्याय मॉडल रूल्स 2016 द्वारा अधिनियम समय 7 वर्ष निर्धारित किया गया है।

इस बात पर बहस हो सकती है कि पुलिस को ऐसे बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड, जो अपराध करने के दोषी साबित हो चुके हैं, के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस पक्ष को बोर्ड को देखना चाहिए।

एक दूसरी बहस यह है कि चूंकि बोर्ड पुलिस को रिकॉर्ड रखने का आदेश दे सकता है, तब पुलिस ऊपर निर्धारित समयावधि तक ऐसे बच्चे जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, बशर्ते कि ऐसे रिकॉर्ड सुरक्षित स्थान में रख-रखाव न किया जाए।

कार्टवाई के हर चरण/अवस्था में बच्चे की निजता और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए।

24 क्या किसी अपराध की घटना से संबंधित बच्चे की पूर्व की जानकारी पर किसी बच्चे पर चल रहे केस की जानकारी का प्रयोग पुलिस सार्वजनिक उपयोग के कार्यों में कर सकती है जैसे कि पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन या घरेलू नौकरों का पुलिस सत्यापन?

ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती हैं जहां पुलिस को बच्चे के किसी आपराधिक कार्य में शामिल होने की पूर्व की या वर्तमान की जानकारी को सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ साझा करना पड़ सकता है जैसे पासपोर्ट सत्यापन या घरेलू नौकर के सत्यापन के मामले में।

ऐसी स्थितियां जिनमें किसी व्यक्ति को नौकर के रूप में कार्य पर रखने के लिए उस व्यक्ति की पूर्व की जानकारी सत्यापित कराई जाती है वह थोड़ी सी जटिल हैं। यहां एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। (प्रशिक्षकों का मैनुअल 134) यहां पर दो प्रकार के लोगों के मानव अधिकार आमने-सामने हो जाते हैं। बच्चे का अधिकार निजता और गोपनीयता तथा दूसरे प्रकार के लोगों का अधिकार नियोक्ता का उपयुक्त सत्यापन का अधिकार विशेष रूप से जब घरेलू नौकर या ड्राइवर को नियुक्त करना हो जो परिवार के साथ-साथ घर के बच्चों को भी सेवाएं देते हैं। इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। पुलिस को अपना विवेक इस्तेमाल करना होगा। निर्णय लेने वाला आधार बच्चे/या बच्चों का सर्वोत्तम हित होना चाहिए।

बाल श्रम कानून में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरह के रोजगार में लगाना निषिद्ध है। यद्यपि अगर 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति घरेलू नौकर के रूप में नियुक्त है तो संलग्नक VI में दिए गए प्रारूप को पुलिस सत्यापन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

जो लोग इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को रोजगार पाने के लिए अयोग्य ठहराने पर रोजगार से हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वे किशोर न्याय अधिनियम के तहत इसके जिम्मेदार होंगे।

संदर्भ

http://www.wcddel.in/Manual_for_Trainers%5B2%5D.pdf

संलग्नक 1: चिकित्सा परीक्षण आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र

चिकित्सा परीक्षण के लिए आवेदन

केस एफ0आई0आर0/ डेली डायरी नं0..... दिनांक.....धारा..... पुलिस थाना
..... जिला..... प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

.....

.....

विषय: प्रदेश चिकित्सा जांच के लिए निबन्ध।

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं मास्टर/बेबी को..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....निवासी.....आय.....की
अभिरक्षा/संरक्षण में 1 कान्सटेबल..... नं0.....2. कान्सटेबल.....
.....नं0 के साथ भेज रहा हूँ।

अतः आप से निवेदन है कि कृपया बच्चे/रोगी की चिकित्सा जांच करें और उसके चोट/बीमारी के विषय में गय
दें।

धन्यवाद!

बाल कल्याण अधिकारी का नाम.....

पुलिस थाना.....

जिला.....

दिनांक.....

संलग्नक 2: सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट

प्ररूप-I

[नियम 8 (1), 8(5)]

प्राथमिकी/डी.डी. संख्या _____

धारा के अधीन _____

पुलिस स्टेशन _____

तारीख और समय _____

अन्वेषण अधिकारी का नाम _____

सी.डब्ल्यू.पी.ओ. का नाम _____

1. नाम _____

2. पिता/माता/संरक्षक का नाम _____

3. आयु/जन्म की तारीख _____

4. पता _____

5. धर्म

(I) हिन्दु (ओसी/बीसी/एससी/एसटी)

(II) मुस्लिम/ईसाई/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. यदि बालक विकलांग है:

(i) सुनने में अक्षम

(ii) बोलने में अक्षम

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग

(iv) मानसिक रूप से निःशक्त

(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. परिवार के व्यौरे

क्र. सं.	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रूग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हों)

8. घर छोड़ने के कारण _____

9. क्या अपराधों में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है, यदि कोई हो।

हां/नहीं

10. बालक की आदतें

	क	ख
(i)	धूमपान	(i) टी.वी./फिल्में देखना
(ii)	शराब का सेवन करना	(ii) अंतरंग खेल/बहिरंग खेल खेलना
(iii)	औषधियों का उपयोग विनिर्दिष्ट करें	(iii) पुस्तकें पढ़ना
(iv)	जुआ खेलना	(iv) ड्राइंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
(v)	भीख मांगना	(v) कोई अन्य
(vi)	कोई अन्य	

11. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हों _____

12. आय के उपयोजन:

(i) परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी

हां	नहीं
हां	नहीं

(ii) स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई :

(क) : पहनावा सामग्री हां/नहीं

(ख) : जुए के लिए हां/नहीं

(ग) : शराब के लिए हां/नहीं

(घ) : औषधियों के लिए हां/नहीं

(ङ.) : धूमपान के लिए हां/नहीं

(च) : बचत हां/नहीं

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :

(i) निरक्षर

(ii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन

(iii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम

(iv) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम

(v) कक्षा दस से अधिक पढ़ाई की

14. स्कूल छोड़ने का कारण :

(i) पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था, फेल हुआ

(ii) स्कूल के कार्यक्रमों में रुचि का अभाव

(iii) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार

(iv) समकक्ष – समूह का प्रभाव

- (v) अर्जन और परिवार की मदद करना
 - (vi) माता-पिता की असामयिक मृत्यु
 - (vii) स्कूल में उत्पीड़न
 - (viii) स्कूल का कड़ा वातावरण
 - (ix) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना
 - (x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
 - (xi) स्कूल में दुर्व्यवहार
 - (xii) स्कूल में अपमान
 - (xiii) शारीरिक दंड
 - (xiv) शिक्षण का माध्यम
 - (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
15. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया उसके व्यौरे :
- (i) निगम/नगर-निगम/पंचायत
 - (ii) सरकारी/अनु.जा.कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
 - (iii) प्राइवेट प्रबंधन
 - (iv) एन. सी. एल. पी. के अन्तर्गत विद्यालय
16. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो _____
17. अधिकांश मित्र :
- (i) शिक्षित
 - (ii) निरक्षर
 - (iii) उसी आयु वर्ग के
 - (iv) आयु में बड़े
 - (v) आयु में छोटे
 - (vi) एक ही लिंग के हैं
 - (vii) अन्य लिंग के हैं
 - (viii) लतें
 - (ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं
18. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है :- हां/नहीं

क्र.सं.	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1.	मौखिक दुर्व्यवहार - माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता-पिता/सहोदर/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है

हां/नहीं

20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के गुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ?

हां/नहीं

21. माता-पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा हमउम्र गुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण :

22. वे परिस्थितियां जिनमें बालक को पकड़ा गया _____

23. बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्यौरा _____

24. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका _____

25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव _____

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

.....संलग्नक 3: बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

प्ररूप 17

[नियम 18(2), 19(25)]

बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं.....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया

प्रस्तुत करने की तिथि प्रस्तुत करने का समय

प्रस्तुत करने का स्थान

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण :

- I. व्यक्ति का नाम
- II. उम्र.....
- III. लिंग.....
- IV. पता
- V. संपर्क फोन संख्या
- VI. व्यवसाय/पदनाम.....
- VII. संगठन/बा.सं./एसएए का नाम

2. प्रस्तुत किया गया बालक:

- I. नाम (यदि कोई है).....
- II. आयु (आयु लिखें/शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें)
- III. लैंगिकता
- IV. पहचान चिह्न.....
- V. बच्चे की भाषा

3. माता-पिता/ संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो):

- I. नाम
- II. आयु.....
- III. पता.....
- IV. संपर्क(फोन)संख्या.....
- V. व्यवसाय.....

4. स्थान जहां बच्चा प्राप्त हुआ.....

5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया :

- I. नाम
- II. आयु.....
- III. पता.....
- IV. संपर्क(फोन)संख्या.....
- V. व्यवसाय.....

6. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया ?

7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण.....

8. बच्चे की शारीरिक स्थिति

9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान

10. बच्चे के बा.सं.सं./एसएए में आने की तिथि और समय

11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरत प्रयास ?

12. क्या बच्चे की चिकित्सा जांच की गई है ?

13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है ?

बच्चे के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/बा.सं.सं. के प्रभारी व्यक्ति/एसएए/कोई भी नागरिक/ स्वयं बालक अथवा बालिका(जो भी लागू हो, भरा जाए)

